उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

Vol. 6 अंक : 05

मार्च 16-31, 2017

दारूल उलूम देवबंद में बलात्कार

और पढ़ें...

- उर्दू प्रेस के निशाने पर आदित्यनाथ योगी
- चीन और सउदी अरब के बीच नए संबंध
- सिंकियांग में बुर्का और दाढ़ी पर प्रतिबंध
- अजमेर दरगाह द्वारा गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग

For Private Circulation

Vol. 6, अंक - 05

मार्च 16-31, 2017

परामर्शदाता
प्रो. राकेश सिन्हा

प्रधान सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
आशीष रावत

प्रसार
सुधीर कुमार सिंह (011-26524018)

प्रकाशक
भारत नीति प्रतिष्ठान
डी–51, प्रथम तल, हौजखास,
नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011-26524018
फैक्स : 011-46089365
ईमेल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.indiapolicyfoundation.org

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

विषय-सूची

सारांश

राष्ट्रीय

I. मसूद मदनी: दारूल उलूम देवबंद का बलात्कारी शिक्षक

II. लाखों-करोड़ों की शत्रु सम्पत्ति पुन: सरकार के कब्जे में

III. पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव और उर्दू मीडिया

IV. उर्दू प्रेस के निशाने पर आदित्यनाथ योगी

V. अवैध पशुवधशालाओं पर पाबंदी से उठा नया बवाल

VI. वन्दे मातरम् का विरोध करने पर आठ मुस्लिम पार्षद निलंबित

VII. संवैधानिक बेंच को तीन तलाक का मामला

VIII. दरगाह के सज्जादा नशीन के गायब होने पर विवाद

पश्चिमी एशिया

I. सउदी अरब द्वारा पचास लाख विदेशियों के निष्कासन की योजना

II. पाकिस्तान में जनगणना

III. चीन और सउदी अरब के बीच नए संबंध

IV. यूरोप में तुर्की विरोधी अभियान

V. मक्का में निजाम रबात

विश्व

I. सउदी अरब द्वारा मालदीव के द्वीप को खरीदना भारत के लिए नया सिरदर्द

II. मुस्लिम पीर द्वारा 20 लोगों की हत्या

III. सिंकियांग में बुर्का और दाढ़ी पर प्रतिबंध

IV. इमाम का निष्कासन

V. पाकिस्तान में हिन्दू मैरिज एक्ट

VI. पाकिस्तान में महिला विदेश सचिव

VII. चीन द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता

अन्य

I. उत्तर प्रदेश में मुस्लिम विधायकों की संख्या घटी

II. आतंकवाद के आरोपियों को बचाने का प्रयास

III. हरियाणा में साम्प्रदायिक तनाव भड़काने का अभियान

IV. अजमेर दरगाह द्वारा गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग

V. बाबरी मस्जिद मुकदमा पुन: चलाने का निर्देश

VI. मस्जिद के दरवाजे अन्य फिरकों के लिए बन्द

सारांश

देश के सबसे प्रभावी मदनी परिवार के मौलाना मसूद मदनी एक महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में जेल भेज दिए गए हैं। मदनी परिवार का कांग्रेस की राजनीति पर गत एक सौ वर्षों से वर्चस्व चला आ रहा है। कांग्रेस देवबंदी सम्प्रदाय के इस परिवार का आज तक राजनीतिक इस्तेमाल करती आ रही है। मसूद के पिता असद मदनी दो दशक तक राज्यसभा के सदस्य रहे। इनके बड़े भाई महमूद मदनी भी अनेक बार सांसद रह चुके हैं। शायद मसूद मदनी ने हरियाणा की इस महिला को झांसा देकर उससे दुष्कर्म करते हुए यह कल्पना नहीं की होगी कि कानून का शिकंजा कभी उस पर भी कसा जा सकता है।

पांच राज्यों के चुनाव परिणाम उर्दू मीडिया में भारी चर्चा का विषय रहे। विश्लेषकों का निष्कर्ष है कि मुस्लिम मतों के विभाजन के लिए मुस्लिम नेता ही सबसे बड़े दोषी हैं। उत्तर प्रदेश में जो मोदी की सूनामी चली उसके कारण वहां के विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या में भारी कमी आई है। 2012 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 64 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। अब उनकी संख्या घटकर 24 हो गई है। जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है विभिन्न मुस्लिम पार्टियां इस बात का जोरदार प्रचार करती हैं कि मुसलमान एक निर्धारित रणनीति के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। हाल के चुनाव में देश के नेताओं को मुस्लिम वोटबैंक के बारे में जो गलतफहमी थी वह अब पूरी तरह से दूर हो गई है। मोदी लहर ने मुस्लिम वोट की कल्पना को धूल में मिला दिया है।

वन्दे मातरम् देश का राष्ट्रीय गीत है मगर इस देश के एक विशेष सम्प्रदाय को ये राष्ट्रीय गीत गले से नहीं उतर रहा है। न जाने क्यूं उन्हें यह गीत इस्लाम के खिलाफ नजर आता है। इसमें भारत भूमि की वंदना की गई है। क्या अपनी मातृभूमि से प्रेम करना इस्लाम के खिलाफ है? हाल ही में मेरठ नगर निगम बोर्ड की बैठक में 8 मुस्लिम सदस्यों ने वन्दे मातरम् को गाने से इनकार कर दिया और जैसे ही इस गीत का गान शुरू हुआ वे सदन का बहिष्कार करके बाहर चले गए। यही ड्रामा इलाहाबाद नगरपालिका में भी दोहराया गया। बड़ी अजीब बात है कि मुसलमानों की धार्मिक संस्थाएं भी इस मुद्दे को लेकर आग में तेल डालने का काम कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश की नवनिर्वाचित योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध बूचड़खानों के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है उस पर कुछ लोगों ने बवाल मचा रखा है। हालांकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह स्पष्ट कर चुके हैं कि यह अभियान सिर्फ अवैध पशु वधशालाओं के खिलाफ है और जिन वधशालाओं के पास लाइसेंस है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। कुछ स्वार्थी तत्व इस मुद्दे पर कसाईयों को भड़का रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है कि अभी तक मुस्लिम नेता यह दावा किया करते थे कि बीफ का कारोबार गैर-मुसलमानों द्वारा ही संचालित हो रहा है। मगर जिस तरह से मुस्लिम संगठनों ने इस मुद्दे पर बवाल मचाना शुरू किया है उससे साफ है कि उनका ये दावा सरासर गलत था। इस अभियान से एक और बात सिद्ध हुई है कि कानूनी प्रतिबंध होने के बावजूद अवैध रूप से राज्य में दशकों से गोवंश का वध होता आ रहा था। जबकि गोवंश के वध का कानून 1956 में ही बनाया गया था। प्रसन्नता की बात ये है कि अजमेर दरगाह शरीफ के प्रमुख ने हाल में ही एक बयान जारी करके यह मांग की है कि देशभर में गोवंश के वध और गोमांस की बिक्री पर तुरन्त कानूनी प्रतिबंध लगाया जाए ताकि देशभर में साम्प्रदायिक सद्भावना में वृद्धि हो सके।

I

मसूद मदनी : दारूल उलूम देवबंद का बलात्कारी शिक्षक

दारूल उलूम देवबंद में मदनी परिवार के मौलाना मसूद मदनी के बलात्कार के आरोप में पकड़ने जाने के बाद हंगामों का सिलसिला थम नहीं रहा है।

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस (1 अप्रैल) के अनुसार पुलिस जब बलात्कार के आरोपी मसूद मदनी को अदालत में पेश करने के लिए देवबंद लाई तो कुछ संगठनों के लोगों ने पुलिस की गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बाहर खींचने की कोशिश की। मसूद मदनी ने दावा किया कि उनकी जान खतरे में है। जेल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वह मसूद मदनी की सुरक्षा कड़ी कर दे। ज्ञातव्य है कि मसूद मदनी पूर्व सांसद एवं जमीयत ए उलेमा के महामंत्री महमूद मदनी का छोटा भाई है और वह दारूल उलूम देवबंद में अध्यापक है।

उर्दू के अधिकांश समाचारपत्रों ने मसूद मदनी की गिरफ्तारी के समाचार को या तो प्रकाशित नहीं किया या फिर उसे एक कॉलम खबर के रूप में प्रकाशित किया है। जबकि उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को उूर्द समाचारपत्रों ने काफी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लव कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि मसूद को हरियाणा की एक महिला की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है जिसने उस पर बलात्कार का आरोप लगाया था। यह महिला हरियाणा की है और जींद जिला की रहने वाली है। इस महिला ने पुलिस को दिए एक बयान में कहा है कि उसके घर कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था इसलिए उसके किसी जानकार ने मसूद मदनी के पास तांत्रिक इलाज करवाने के लिए भिजवाया था। उसका कहना है कि उसके विवाह को 6 वर्ष हो चुके हैं मगर उसका कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। मजार पर उसे कुछ लोगों ने मौलाना मदनी से सम्पर्क स्थापित करने के लिए कहा था। इसके बाद यह महिला और उसका पति मदनी से मिले थे। इस महिला ने कहा कि जुमा के दिन तांत्रिक प्रक्रिया करने के लिए मौलवी ने उसे अपने घर बुलाया था। जहां पर उसे नशीले पदार्थ दिए गए। जब वह बेहोश हो गई तो उसने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस कप्तान ने बताया कि डॉक्टरी जांच के दौरान बलात्कार की पुष्टि हुई है और उसके बाद मसूद मदनी को हिरासत में ले लिया गया है।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (4 अप्रैल) के अनुसार मसूद मदनी पर हुए हमले के सिलसिले में पुलिस ने देवबंद के निकटवर्ती गांव तेहड़ा आसा के प्रधान रविन्द्र चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार यह व्यक्ति मसूद मदनी पर हुए हमले में शामिल था। दूसरी ओर, मसूद मदनी के समर्थकों ने पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वे दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है।

एक अन्य समाचार के अनुसार सहारनपुर जिला के भाजपा अध्यक्ष गजराज सिंह राणा ने एक बयान में सरकार से मांग की है कि दारूल उलूम देवबंद और जमीयत ए उलेमा जैसे संगठनों को फौरन बंद किया जाए। क्योंकि वे धर्म के नाम पर लोगों में उत्तेजना फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि दारूल उलूम देवबंद और अन्य मुस्लिम संगठनों में इस तरह की हरकतों का सिलसिला पुराना है मगर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों के कारण सरकार ने दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। मसूद मदनी मंत्री रह चुका है और उनका काफी प्रभाव है।

हिन्दी समाचारपत्र **दैनिक भास्कर** (19 मार्च) के अनुसार उत्तराखण्ड की नारायणदत्त तिवारी सरकार में राज्यमंत्री रहे मौलाना मसूद मदनी को पुलिस ने एक 26 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में जेल भेज दिया है। इस महिला ने देवबंद कोतवाली में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस के अनुसार इस निःसंतान महिला का आरोप है कि संतान प्राप्ति की मन्नत के दौरान उसकी मुलाकात मसूद मदनी से हुई और मसूद मदनी ने उसे भरोसा दिलाया कि तांत्रिक प्रक्रिया द्वारा उसे संतान पैदा होगा। जिसके बाद उसे झांसा देकर देवबंद ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया।

हिन्दी समाचारपत्र **अमर उजाला** (19 मार्च) के अनुसार हरियाणा के जींद जिला के कस्बा सफेदो निवासी इस महिला ने पुलिस को बातया कि शादी के 6 साल गुजर जाने के बाद भी उसका बच्चा नहीं हुआ था इसलिए वह 9 मार्च को मन्नत मांगने के लिए रूड़की के समीप स्थित दरगाह पिरान कलियर शरीफ की दरगाह पर गई थी। वहां उसे एक व्यक्ति मिला जिसने उसे मौलना मसूद के साथ सम्पर्क करने का मशविरा दिया। उसने उसे मसूद का मोबाइल नम्बर भी दिया था। उसके पति ने मसूद से सम्पर्क किया। मसूद ने उसके पति और उसे एक दरगाह पर बुलाया। रात में वह मदनी के आवास में रूकी और अगले दिन हरियाणा चली गई। इसके बाद वह 16 मार्च को मदनी के पास अकेली पहुंची। आरोप है कि मदनी उसे तलहेड़ी चुंगी स्थित अपने आवास ले गया जहां उसने उस महिला के साथ अनेक बार दुष्कर्म किया।

II

लाखों-करोड़ों की शत्रु सम्पत्ति पुनः सरकार के कब्जे में

दैनिक इंकलाब (16 मार्च) के अनुसार लोकसभा ने शत्रु सम्पत्ति संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इससे पूर्व राज्यसभा पहले ही इसकी मंजूरी दे चुकी है। ये कानून कई सालों से खटाई में पड़ा हुआ था और सदन में कम से कम 4 बार पेश किया गया था मगर ये पारित नहीं हो पाया था। इस विधेयक द्वारा 1968 में पारित शत्रु सम्पत्ति कानून में संशोधन किया गया है। इस कानून में संशोधन किए जाने के बाद देश के जो नागरिक पाकिस्तान या चीन चले गए थे उनके वारिसों का अब भारत में उनके द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। राज्यसभा में जब इस बिल को पारित किया गया तो विरोध प्रकट करते हुए विपक्ष के सभी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पूर्व कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश एवं दो अन्य सदस्यों सपा के जावेद अली खां और एस. एस. राय ने इसका विरोध किया और मांग की कि इस पर अगले सप्ताह चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि इस समय सदन में कोई महत्वपूर्ण विपक्षी सदस्य मौजूद नहीं है मगर सराकर ने इसे स्वीकार नहीं किया और ध्वनि मत से यह बिल पारित हो गया। अरूण जेटली ने कहा कि अब पाकिस्तान और चीन जाने वाले लोगों की भारत में छोड़ी गई सम्पत्ति पर सरकार का अधिकार हो जाएगा और इस पर उनके वारिसों का कोई अधिकार नहीं होगा।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (16 मार्च) ने कहा है कि काफी समय से खटाई में पड़ा हुआ शत्रु सम्पत्ति अधिनियिम अन्त में संसद से पास हो गया है। इस बिल के पास होने से कई बड़े परिवार प्रभावित होंगे। अन्य राज्यों में शायद इसका विशेष प्रभाव नजर न आए। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका काफी असर देखने को मिलेगा। शत्रु सम्पत्ति वह है जिसके मालिकों में से कोई व्यक्ति पाकिस्तान या चीन चला गया हो। जाहिर है पाकिस्तान जाने वालों में उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा थे। तथा वे अमीर घराने से भी थे। यही कारण है कि एक अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में कम से कम एक लाख 519 सम्पत्ति ऐसी है जोकि इसके दायरे में आती है जिसका मूल्य एक लाख करोड़ से भी अधिक बताया जाता है। इस बिल को सदन में पेश करते हुए गृहमंत्री राजनाथ

सिंह ने तर्क दिया था कि पाकिस्तान ने क्योंकि वहां से आए हुए हिन्दुस्तानियों की सम्पत्ति जब्त कर ली है इसलिए हिन्दुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान जाने वालों की सम्पत्ति जब्त करना गैर-कानूनी या मानवाधिकार का हनन नहीं है। शत्रु सम्पत्ति का सबसे अधिक प्रभाव राजा महमूदाबाद पर पड़ेगा। जिनकी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 936 सम्पत्तियां हैं। इस बिल के पास होने से इन सम्पत्तियों पर उनके वारिसों का मालिकाना अधिकार समाप्त हो जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि सैफ अली खां और उनके परिवार की भोपाल में जो सम्पत्तियां हैं वह भी इससे प्रभावित होंगी। सैफ के पिता मंसूर अली खान पटौदी की मां शहजादा सुल्तान बेगम भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां की बेटी थी। बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान 1950 में ही पाकिस्तान चली गई थी। इस कारण ये पूरी सम्पत्ति शहजादा सुल्तमान बेगम को मिल गई थी। हालांकि पटौदी परिवार के वकील का कहना है कि इस कानून का नवाबा पटौदी परिवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 1968 में जब शत्रु सम्पत्ति कानून में संशोधन किया गया था तो इसका सबसे अधिक प्रभाव राजा महमूदाबाद पर पड़ा था लेकिन राजा ने इसके खिलाफ उच्चतम् न्यायालय में याचिका दायर की थी और 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सरकार को उसकी सम्पत्ति वापस करनी पड़ी थी। 2010 में सरकार ने फिर अध्यादेश इस संदर्भ में जारी किया था जिसके खिलाफ महमूदाबाद के राजा सर्वोच्च न्यायालय में चले गए थे। राजा महमूदाबाद के वकील का यह तर्क था कि यह भारतीय संविधान की धारा 14 और 21 का उल्लंघन है। तब से यह मामला विचाराधीन है। वर्तमान राजा महमूदाबाद के पिता 1967 में पााकिस्तान चले गए थे जबकि उनकी पत्नी कनीज़ आबदा और वे भारत में ही रहे। 1962 में चीन के खिलाफ और 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के बाद भारत सरकार ने शत्रु सम्पत्ति के लिए एक विशेष विभाग गठित किया था। 1973 में जब राजा के पिता का निधन हुआ तो यह सम्पत्ति उसे मिल गई।

दैनिक इंकलाब (16 मार्च) के अनुसार इस बिल के पारित होने से अब देश की 16 हजार सम्पत्तियों पर केन्द्र सरकार का कब्जा हो जाएगा जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। इस बिल के पास होने से और नया कानून बनने से देश के नवाबों, जागीरदारों और देश छोड़ पाकिस्तान जाने वालों के उत्तराधिकारी प्रभावित होंगे। शत्रु सम्पत्ति कानून 1968 में संशोधन किया गया है। ज्ञातव्य है कि केन्द्र में भाजपा ने सत्ता में आने के बाद ऐसी सम्पत्तियों को जब्त करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था लेकिन राज्यसभा में जब इस विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजा गया तो ये प्रभावी नहीं रहा। ज्ञातव्य है कि 1965 में भारत-पाक युद्ध के बाद ये बिल पहली बार पेश किया गया था और इस बिल के अनुसार पाकिस्तान और चीन जाने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति की देखभाल का अधिकार सरकार को दिया गया था। 2016 में ऑफिस ऑफ द कस्टोडियन ऑफ एनेमी प्रॉपर्टी के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 16 हजार शत्रु सम्पत्तियां हैं जिनका मूल्य लाखों-करोड़ों में बताया जाता है। ये सम्पत्तियां मुम्बई, भोपाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल आदि में है।

ज्ञातव्य है कि 1316 में बगदाद से एक विद्वान दिल्ली आए थे और उन्होंने मोहम्मद तुगलक की सेना में युद्ध किया था। इसके बाद उन्हें ईनाम में अवध में एक बड़ी जागीर दी गई थी। यही जागीर महमूदाबाद रियासत कहलाती है। महमूदाबाद के नवाब अमीर अहमद खां 1957 में पाकिस्तान चले गए थे मगर उनकी रानी अपने बेटे सहित यहीं रह गई थी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उनकी 936 सम्पत्तियां हैं जोकि इस नए कानून में आती है। सर्वोच्च न्यायालय में इस लड़ाई को लड़ने वाले महमूदाबाद का कहना है कि वे और उनकी मां शुरू से भारतीय नागरिक रहे हैं और वे कभी पाकिस्तान नहीं गए। इसलिए उनकी पैतृक सम्पत्ति को शत्रु सम्पत्ति करार नहीं दिया जा सकता। इसी तरह तेलंगना के कमरुद्दीन को भी इससे नुकसान होगा क्योंकि हैदराबाद एयरपोर्ट के पास उनकी 600 एकड़ जमीन है। कई अन्य लोगों की सम्पत्ति मुम्बई, ठाणे में स्थित है।

III

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव और उर्दू मीडिया

सियासत (15 मार्च) ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के मतों को विभाजित करके भाजपा ने सफलता प्राप्त की है। समाचारपत्र ने कहा है कि तीन तलाक के प्रश्न पर मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा को भारी संख्या में अपने वोट दिए हैं। समाचारपत्र ने दावा किया है कि मुसलमानों ने भाजपा को वोट नहीं दिए मगर भाजपा की ओर से मुस्लिम मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ बुर्काधारी महिलाओं के चित्र अपलोड करके ये प्रचार किया गया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सफलता पर मुस्लिम महिलाएं जश्न मना रही हैं। समाचारपत्र ने लिखा है कि मुस्लिम मतों के विभाजन के लिए मुस्लिम नेता ही दोषी हैं जिन्होंने जनाधार न होते हुए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर एक-दूसरे को हराने के लिए कई उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। समाचारपत्र ने दावा किया है कि एक तरफ तो मुस्लिम मत विभाजित हो गए और मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण हो गया। मुस्लिम महिलाओं द्वारा जश्न मनाने के जो चित्र सोशल मीडिया में अपलोड किए हैं जो सरासर जाली हैं।

सियासत (15 मार्च) में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं के खिलाफ जनता ने खुली बगावत शुरू कर दी है। उनका आरोप है कि इस मुस्लिम संगठन के नेताओं ने भाजपा के साथ गठजोड़ करके उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे जिनके कारण मुस्लिम उम्मीदवार हार गए हैं और भाजपा के उम्मीदवार जीत गए हैं। समाचार के अनुसार नांदेड़ में मुसलमानों ने इत्तेहादुल मुस्लिम अध्यक्ष का पुतला फूंका और प्रदर्शन किया। इस तरह के प्रदर्शन लातूर और भिवंडी में भी हुए हैं। समाचारपत्र ने दावा किया है कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता भारी संख्या में अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे रहे हैं।

दैनिक इत्तेमाद (12 मार्च) के अनुसार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 2014 के चुनाव में भी लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश से एक भी सदस्य निर्वाचित नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि तथाकथित सेक्युलर पार्टियों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि उनका वोट कहां चला गया है। इन चुनाव परिणामों से साफ हो गया है कि भाजपा को रोकने की जिम्मेवारी और सेक्युलरिज्म की रक्षा करने की जिम्मेवारी मुसलमानों की नहीं बल्कि सबकी है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव से साफ हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक कभी नहीं था और मुस्लिम वोट बैंक एक धोखा था। अगर मुस्लिम वोट बैंक होता तो मुसलमानों की हालत बदतर नहीं होते। उन्होंने कहा कि ये आरोप सरासर निराधार हैं कि हमारा किसी पार्टी के साथ गुप्त समझौता था या हमने मुसलमानों के वोट विभाजित करने के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से हमने सिर्फ 35 उम्मीदवार खड़े किए थे। इन सीटों से जो लोग जीते हैं उनमें से वो भाजपा के नहीं बल्कि अन्य पार्टियों के हैं। उन्होंने कहा कि हम निराश नहीं हैं और हम उत्तर प्रदेश में अपनी गतिविधियां जारी रखेंगे।

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव पर टिप्पणी करते हुए समाचारपत्र **इंकलाब** (13 मार्च) ने सम्पादकीय में यह स्वीकार किया है कि भाजपा की शक्ति में तेजी से वृद्धि हो रही है और हर नए चुनाव के साथ इसकी राजनीतिक शक्ति बढ़ रही है। समाचारपत्र का कहना है कि कुछ दिनों से दावा किया जा रहा था कि मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है लेकिन इन चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया कि ऐसा नहीं है। नोटबंदी के फैसले से ये माहौल बना था कि जनता 2014 की अपनी गलती को नहीं दोहराएगी लेकिन 8 नवम्बर, 2016 के बाद होने वाले पंचायती और नगरपालिकाओं के चुनाव से लेकर हाल के विधानसभा चुनावों से सिद्ध हुआ है कि भले ही नोटबंदी के कारण देश और जनता के लिए कठिनाई बढ़ी हो मगर इसका भाजपा की लोकप्रियता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नरेन्द्र मोदी सरकार के गत ढाई वर्ष के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए भी यह दावा

किया जाता था कि उन्होंने अपने आश्वासनों को पूरा नहीं किया मगर ये बात केवल विपक्षी दल ही कहते थे। मीडिया और जनता ने इस संदर्भ में कोई प्रश्न नहीं किया। इसका अर्थ ये है कि जनता की आशाएं अभी तक मोदी पर लगी हुई है और उनमें एक वृद्धि हुई है। अगर ऐसा न होता तो हर जगह भाजपा को चुनावों में विजय प्राप्त न होती। कहने का अर्थ ये है कि ऐसे ही कई कारणों से उत्तर प्रदेश में भाजपा को आशा से भी अधिक सफलता मिली है। अगर ये कहा जाए कि 2014 का चुनाव भाजपा ने उस वक्त जीता था जब अन्य राजनीतिक दलों को मीडिया और सोशल मीडिया के प्रभाव का अनुमान नहीं था मगर पिछले ढाई साल से चुनावी तैयारियां करने के बावजूद गैर-भाजपाई पार्टियां अभी तक सम्भल नहीं पाई है। हां, पंजाब में कांग्रेस को विजय जरूर प्राप्त हुई है मगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की जबर्दस्त कामयाबी ने उसे जनता की आंखों से ओझल कर दिया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ताकतवर समझी जाती थी मगर हाल के चुनाव में उन्हें हाशिए पर पहुंचा दिया है। अगर सपा की सरकार चली गई तो बसपा की भी हालत बेहद खस्ता भाजपा ने कर दी। ये तीसरा अवसर है कि जबकि बसपा प्रभावहीन सिद्ध हुई है। 2012 में इसकी सत्ता खत्म हुई थी।

इसी समाचारपत्र ने दो विख्यात् स्तम्भकारों के लेख भी इसी संदर्भ में प्रकाशित किए हैं। एक लेख विख्यात् पत्रकार हसन कमाल का है जिसका शीर्षक है 'नरेन्द्र मोदी की सूनामी लहर'। इस लेख में कमाल ने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिए हैं। कमाल लिखते हैं अविश्वसनीय उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों को देखते हुए सिर्फ यही कहा जा सकता है कि सारे अनुमान सरासर गलत सिद्ध हुए हैं। भाजपा के नेताओं को भी इतनी भारी विजय की कल्पना तक नहीं थी। कुछ लोग अपनी हार पर पर्दा डालने के लिए दावे कर रहे हैं कि वोटिंग मशीनों में गड़बड़ की गई थी। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को ऐसी ही जीत प्राप्त हो चुकी है। विपक्ष को हाल के चुनाव में जो हार हुई है उससे सिद्ध हो गया है कि उनके नेताओं की तुलना में नरेन्द्र मोदी गरीब अवाम से अधिक नजदीक हैं। वो उन्हीं की भाषा बोलते हैं और उन्हें विश्वास दिलाने में सफल हैं कि वो उन्हीं की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। एक वजह नोटबंदी भी है जिसके बारे में हमारे सहित बहुत से विशेषज्ञों का ये विचार था कि ये भाजपा और नरेन्द्र मोदी को भारी क्षति पहुंचाएगी। मगर हमने ये भी देखा कि इससे पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नोटबंदी का प्रभाव मध्यवर्ग पर अधिक था। गरीबों को नरेन्द्र मोदी ये विश्वास दिलाने में सफल हो गए कि उन्होंने कालेधन वालों की नींद उड़ा दी है। भाजपा ने साम्प्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण किया और जातिवाद को हवा दी। अमित शाह ने छोटी-छोटी जाति के लोगों से अपना संबंध जोड़ा और टिकट देने से पहले पार्टी में पदाधिकारी भी बनाया। इससे हाशिए पर रहने वाली जनता को ये अनुभूति हुई कि भाजपा वास्तव में उनकी हमदर्द है। इसका लाभ हाल के चुनाव में डटकर हुआ। इन वर्गों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि जब तक उनकी बिरादरी के लोग विधायक नहीं होंगे तब तक उनकी उन्नति नहीं हो सकती। कांग्रेस ये काम नहीं कर पाई और यही उसके पतन का कारण बना। भाजपा अपर कास्ट पार्टी है लेकिन वो इसे प्रकट नहीं करती। इसकी कमान भले ही उच्च जाति अर्थात् आरएसएस के हाथों में है मगर उसका चेहरा अपर कास्ट जैसा नहीं लगता। दूसरी ओर, कांग्रेस भले ही खुद को अपर कास्ट पार्टी जाहिर न करती हो लेकिन इनका चेहरा ऐसा ही लगता है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं से लेकर पदाधिकारियों तक कहीं हिन्दू, मुसलमान, दलित या ओबीसी चेहरा नजर नहीं आता। कमाल ने कहा कि ये सच है कि आमतौर पर भाजपा जब किसी मुद्दे से एक चुनाव में लाभ उठा लेती है तो वो दूसरे चुनाव में उसे नहीं दोहराती। राम मंदिर के मुद्दे से उसने जो लाभ उठाना था उठा लिया। इस बार उसने विकास के नाम पर चुनाव लड़ा है। अब गुजरात और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी नया मुद्दा ले आएगी। कुछ लोगों ने दावा किया है कि 10 प्रतिशत मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिए हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भाजपा की जीत भी इसे ही प्रकट करती है। भाजपा के नेताओं ने ये भी दावा किया है कि तीन तलाक के कारण उन्हें मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिए हैं।

एक अन्य लेख सुश्री नीलाम सुहरावर्दी का है। जिसका शीर्षक है 'उत्तर प्रदेश में बीजेपी कैसे जीत गई?'। सुश्री सुहरावर्दी के अनुसार भाजपा को उत्तर प्रदेश में जो भारी सफलता मिली है उससे लगता है कि अखिलेश और राहुल की कोशिशों का उल्टा प्रभाव पड़ा है। सपा और कांग्रेस के गठजोड़ से लाभ की बजाए नुकसान हुआ है। ये फैसला अखिलेश यादव का गलत था और इसके कारण समाजवादी पार्टी ने अपनी कई सीटों को खो दिया है।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (12 मार्च) के सम्पादकीय का शीर्षक है 'मोदी लहर'। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों से ये सिद्ध हो गया है कि अभी मोदी लहर बरकरार है। कुछ विशेषज्ञों ने इसे हिन्दू वोटों का ध्रुवीकरण बताया है जबकि बसपा प्रमुख ने इसे ईवीएम मैजिक करार दिया है। जनता ये महसूस करती है कि मोदी जो कुछ सोचते हैं देश के लिए सोचते हैं इसलिए जनता का मोदी पर भरोसा बढ़ रहा है।

हमारा समाज (12 मार्च) ने अपने सम्पादकीय में राज्य के चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में 15 साल के बाद भाजपा की जो घर वापसी हुई है उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता क्षेत्रीय पार्टियों से काफी परेशानी हो गई थी। उन्हें इस बात का अहसास होने लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही राज्य विकास कर सकता है। अगर चुनावी घोषणापत्र में किए गए वायदों में से आधे भी भाजपा ने पूरे कर लिए तो आने वाले चुनावों में भाजपा को इन राज्यों से कोई नहीं हटा सकता। हालांकि ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश में मोदी ने हिन्दुत्व कॉर्ड खेला। कब्रिस्तानों, शमशानों के मुद्दे को उछाला जिससे गैर-मुसलमान वोटरों का ध्रुवीकरण हुआ। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में हाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कम वोट मिले हैं। इससे साफ है कि जनता में भाजपा की लोकप्रियता घटी है।

सियासत (14 मार्च) के अनुसार उत्तर प्रदेश के हाल के चुनाव का विश्लेष करते हुए अपने सम्पादकीय में कहा है कि उत्तर प्रदेश के हाल के चुनाव में मात्र 24 मुसलमान विधायक ही चुके गए हैं जबकि पिछले चुनाव में इनकी संख्या 69 थी। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी का अनुपात 19 प्रतिशत है। समाचाररपत्र ने कहा है कि जिस तरह से मुसलमान नेताओं ने बयान दिए थे उसके कारण हिन्दू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। समाजवादी पार्टी और मायावती की ओर से दलित-मुस्लिम एकता का जो प्रयास किया था वो धूल में मिल गया। भाजपा ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवसर को अपना टिकट नहीं दिया था इसके बावजूद भाजपा उम्मीदवार मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सफल हुए क्योंकि मुसलमानों के वोट विभाजित हो गए थे।

IV

उर्दू प्रेस के निशाने पर आदित्यनाथ योगी

उर्दू समाचारपत्रों ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की आलोचना की है। **सहाफत** (20 मार्च) का कहना है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो लोग विधायक चुने गए थे उनमें कोई भी इस योग्य नहीं था कि उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाए? जिन चार उम्मीदवारों की मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा हुई वो सभी सांसद थे। इनमें आदित्यनाथ के अतिरिक्त राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्या और मनोज सिन्हा शामिल थे। जिस दिन मुख्यमंत्री पद का चयन होना था तो कुछ लोगों ने कल्याण सिंह जिन्दाबाद के नारे भी लगाए। कल्याण सिंह के शासनकाल में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था और वो अब राजस्थान के राज्यपाल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला पहले ही हाईकमान कर चुका था

लेकिन उस फैसले को लोकतांत्रिक रूप देने के लिए विधायकों की राय जानने का ड्रामा किया गया। मनोज सिन्हा का नाम जानबूझकर उछाला गया हालांकि वो कभी लखनऊ नहीं आए। सहाफत का कहना है कि उसने नरेन्द्र मोदी को पहले ही चेतावनी दी थी कि वो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का खतरा मोल न लें। मोदी का स्वभाव शुरू से तानाशाही है और वो मनमाने निर्णय लेते हैं। योगी आदित्यनाथ उन्हें मतभेद होने की सूरत में चुनौती दे सकते थे। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। शुरू में भाजपा के स्टार प्रचारकों की जो सूची तैयार हुई उनमें योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल नहीं था। बाद में गुप्तचर सूत्रों ने मोदी का चेतावनी दी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की हालत खस्ता है। इसलिए परेशानी के कारण भाजपा हाईकमान ने तुरन्त योगी आदित्यनाथ से सम्पर्क किया। कहा जाता है कि आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को यह स्पष्ट शब्दों में बता दिया था कि वह चुनाव अभियान में तभी सक्रिय भाग लेंगे जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दिया जाए। लोकसभा चुनाव को मात्र दो वर्ष रह गए हैं। इसलिए भाजपा के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें मुसलमानों को ही निशाना बनाया जाता है और इस दृष्टि से योगी आदित्यनाथ से बेहतहर व्यक्ति पार्टी को और नहीं मिलेगा जोकि हिन्दू वोटों का ध्रुवीकरण करने की स्थिति में हो। मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ के रूख में जरूर परिवर्तन हुआ है और उसने सबका साथ, सबका विकास के नारे की लाज रखते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि जश्न के नाम पर कोई हुल्लड़बाजी और हंगामा नहीं होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सामने कई समस्याएं हैं जिनके कारण मुसलमान सख्त परेशान हैं। देखना यह है कि नई सरकार उन्हें न्याय देती है या नहीं। एक उदाहरण, दादरी के मोहम्मद इखलाक की हत्या का है। केस साफ है लेकिन क्या अपराधियों को उनके अपराधों की सजा मिल पाएगी या उन्हें कसूरवार होते हुए भी बेकसूर करार दिया जाएगा?

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (20 मार्च) ने अपने अंक में योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने की आलोचना की है। चुनाव जीतने के लिए मोदी ने अपने चुनाव अभियान में वायदा किया था कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया जाएगा। एक नया परिवर्तन आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने का है। इससे साफ है कि मोदी ने भारत को विकास के मार्ग पर ले जाने की बजाए हिन्दू हृदय सम्राट बनने पर ज्यादा जोर दिया है। कहा जाता है कि आरएसएस के नेताओं के दबाव पर आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय हुआ है। सवाल यह पैदा होता है कि जब आदित्यनाथ को यह पद दिया जाना था तो पार्टी इस मामले को क्यों टालती रही? जिस तरह से उनके साथ दो नए उपमुख्यमंत्री बनाए गए हैं उससे भी पार्टी की भावी रणनीति का संकेत मिलता है। अगर योगी कोई गड़बड़ करेंगे तो इन दोनों का उन पर नियंत्रण रहेगा। भाजपा ने हाल के चुनाव में एक भी मुसलमान को अपना उम्मीदवार न बनाकर अपने भावी इरादों का स्पष्ट संकेत दे दिया था। भाजपा का तर्क यह था कि जब मुसलमानों ने उन्हें अपने वोट नहीं देने हैं तो फिर उनको उम्मीदवार बनाने से क्या फायदा। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 18 प्रतिशत था जोकि अब 10 प्रतिशत से भी कम रहा गया है। स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से मात्र 24 मुस्लिम उम्मीदवार ही चुने गए हैं। इस तरह से हाल के चुनाव के बाद मुसलमानों की अब आवाज नहीं रही है। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने से यह भी संकेत मिलता है कि अब गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश को हिन्दुत्व की नई प्रयोगशाला बनाया जाएगा। काफी समय से यह प्रचार किया जा राह है कि मुसलमानों के उत्पीड़न के कारण हिन्दू मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से पलायन कर रहे हैं।

दैनिक हिन्दुस्तान एक्सप्रेस (20 मार्च) ने अपने सम्पादकीय में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने की परोक्षरूप से कड़ी आलोचना की है। समाचारपत्र ने योगी को यह मशवरा दिया है कि वो प्रदेश को भगवा रंग में रंगने की बजाय विकास पर ज्यादा ध्यान दें। चुनाव अभियान में भाजपा ने विकास पर बहुत जोर दिया था। अब देखना यह है कि पार्टी अपने इस आश्वासन को कहां तक निभा पाती है। योगी और उत्तर प्रदेश का विकास दोनों आपस में विरोधी हैं। भाजपा में इस बात पर काफी मतभेद थे कि उत्तर प्रदेश की कमान किसे सौंपी जाए। काफी विचार-विमर्श को साथ अचानक पार्टी को योगी

के पुराने कारनामे बहुत भाए। इस कारण हाईकमान ने उन्हें उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी। हालांकि पार्टी को अपना मुख्यमंत्री उन लोगों में से चुनना चाहिए था जिन्हें मतदाताओं ने हाल के चुनाव में चुना था। योगी आग उगलते हैं। इसे कौन नहीं जानता। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि योगी के खिलाफ कई दर्जन गम्भीर मुकदमे विचाराधीन हैं। जिनमें हत्या का आरोप भी शामिल है। स्वयं योगी ने 2014 में चुनाव से पूर्व चुनाव आयोग को जो शपथपत्र दिया था उसमें उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों का ब्यौरा दिया गया था। यह मुकदमे विचाराधीन हैं। जबकि कई अन्य मुकदमों की जांच चल रही है। अभी इन मुकदमों में उन्हें किसी में से भी क्लीनचिट नहीं मिली। तर्क यह दिया जाता है कि आरोपों की कोई कीमत नहीं होती। हम इस बात को जानते हैं कि स्वस्थ छवि की भाजपा में कोई कीमत नहीं है। लोग योगी आदित्यनाथ पर लाख उंगुलियां उठाते रहे मगर इससे भाजपा की सियासत की राजनीतिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब योगी की ताजपोशाी हो गई है इसलिए हमें उनके भूतकाल की बजाए उनके भविष्य के बारे में चिंता है। हाल के चुनाव में भाजपा ने एक भी मुसलमान को अपना टिकट नहीं दिया था। अब जबकि 312 विधायकों के साथ भाजपा सत्ता में आ गई है तो उसमें एक जूनियर मुसलमान को भी शामिल किया गया। देखना यह है कि सरकार अब सबका साथ, सबका विकास का वायदा कैसे पूरा करती है।

दैनिक इंकलाब (20 मार्च) ने मुख्य सम्पादकीय में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर हैरानी व्यक्त की है। इसमें कोई शक नहीं कि 7 चरणों में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में तीसरे चरण के बाद ही भाजपा के तेवर बदलने लगे थे और उसने विकास के नोर को हिन्दुत्व के भंवर के साथ कुछ इस तरह पेश किया जिससे उसे वोटों के ध्रुवीकरण में विशेष सफलता मिली। मगर किसी को उम्मीद नहीं थी कि पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगी जिसके अतिवादी तेवर किसी से छुपे हुए नहीं हैं। भाजपा में कुछ लोग पोस्टर ब्वाय बनने के लिए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के नाम की घोषणा से पूर्व केशव प्रयास मौर्या और मनोज सिन्हा के नामों की चर्चा थी जिन्हें संतुलित छवि का व्यक्ति माना जाता है। मगर अचानक आदित्यनाथ के नाम की घोषणा कर दी गई। क्या यह पहले से तय था या यह फैसला अचानक किया गया? इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि भाजपा में मीडिया से ज्यादा बातचीत नहीं करने और उसे टालने का एक कल्चर पैदा हो गया है।

दैनिक सहाफत (21 मार्च) के सम्पादकीय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का स्वागत किया कि वह सबका साथ, सबका विकास की नीति का अनुसरण करेंगे। हैरानी की बात यह है कि एक ओर तो मुख्यमंत्री यह दावा कर रहे थे और दूसरी ओर उनकी पार्टी के नेता मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे थे।

V

अवैध पशुवधशालाओं पर पाबंदी से उठा नया बवाल

इंकलाब (29 मार्च) के अनुसार उत्तर प्रदेश में अवैध पशुवधशालाएं बंद करने के प्रश्न पर मांस के व्यापारियों और सरकार के बीच रस्साकशी चल रही है। एक ओर जिला प्रशासन की टीम हैं जो निरंतर छापे मार रही है और दूसरी ओर प्रभावित लोगों के पास हड़ताल करने के अलावा कार्ई चारा नहीं है। साफ है कि भाजपा का दृष्टिकोण इस मामले में पहले दिन से स्पष्ट है। भाजपा ने अपने चुनावी अभियान में बार-बार बात कही थी कि अगर वो सत्ता में आए तो जिस दिन उत्तर प्रदेश में नई सरकार शपथ लेगी तो दूसरे दिन से ही पशुवधशालाएं बंद कर दी जाएंगी। इस समस्या का खेदजनक पक्ष यह है कि मुसलमानों के

ईमानदार नेता तो कंफ्यूजन का शिकार हैं, दूसरी ओर खुदगर्ज नेता हैं जो जनता का भावनात्मक शोषण करते आ रहे हैं। इन्हीं लोगों ने अपने शासनकाल में मांस बेचने वाले लोगों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया। आज हजारों परिवारों के सामने रोजी-रोटी की समस्या हैं। मगर ये घटिया दर्जे के नेता इस तरह के बयान देकर परेशान लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। यहां पर मैं बताता चलूं कि मांस पर प्रतिबंध लगाने की बात उस देश में हो रही है जो इस वक्त विश्व में बीफ सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश है। भारत से प्रतिवर्ष 24 लाख टन बीफ विश्वभर में भेजा जाता है जबकि ब्राजील से 20 लाख टन का निर्यात होता है। जबकि सप्लाई को 45 प्रतिशत भाग वियतनाम हम से खरीदता है। लेकिन जो लोग इस तरह की बातें सोच रहे हैं उन्हें जानकारी नहीं है कि भाजपा कट्टर हिन्दुओं में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किसी भी उद्योग पर प्रतिबंध लगा सकती है। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर प्रश्न उठाकर मांस बेचने वालों के लिए एक आशा की किरण जागृत की है। हमारा परामर्श है कि इस मामले पर टकराव की नीति अपनाने की बजाय बीच का कोई मार्ग अपनाना चाहिए। नेताओं को इस बात को समझना चाहिए कि यह मुद्दा मांस खसने या न खाने का नहीं है बल्कि जो चमड़े के उद्योग से जुड़े हुए हैं उनका है। इस बिरादरी में कुरैशी बिरादरी को अकेला छोड़ना सही नहीं है।

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस (29 मार्च) ने अपने सम्पादकीय में मांस के व्यापारियों की हड़ताल का उल्लेख करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद पशुवधशालाओं पर जो कार्रवाई की गई है उससे यह चर्चा छिड़ गई है कि उत्तर प्रदेश में मांस के क्या महत्व हैं। आंकड़ों के अनुसार मांस को विदेशों को भेजने के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। जो गोश्त विदेशों को भेजा जाता है उनमें 20 प्रतिशत उत्तर प्रदेश से आता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 31 प्रतिशत लोग मांस खाते हैं जबकि उत्तर प्रदेश में 52 प्रतिशत मांसाहारी हैं। उत्तर प्रदेश से लगभग 5 लाख टन गोश्त निर्यात होता है। भारत का गोश्त सस्ता होता है क्योंकि यहां दूध न देने वाले या बूढ़े जानवरों का वध किया जाता है। ब्राजील और अन्य देशों में इन्हीं जानवरों को पाला जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा गोश्त तेलंगना के लोग खाते हैं और वहां 98 प्रतिशत लोग मांसाहारी हैं। दूसरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। उत्तर प्रदेश में 1000 लोगों में से 108 लोग मुर्गे, 49 मछली, 70 बकरा और 127 भैंस का गोश्त खाते हैं। पशुवशालाओं पर छापे के बाद उत्तर प्रदेश में मांस का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और मांस के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। सरकार ने गोश्त के व्यापार के खिलाफ इसलिए भी कार्रवाई की है कि वो अपने समर्थकों को दिखाना चाहती हे कि वो क्या कर सकती है और मुसलमाों के प्रति उसका रूख कड़ा है। हालांकि सरकार यह भी जातनी है कि मांस केवल मुसलमान नहीं खाते बल्कि हिन्दू भी खाते हैं। मांस के व्यापारियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (29 मार्च) ने सम्पादकीय में कहा है कि उत्तर प्रदेश में चल रहे विवाद में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और सरकार और लखनऊ निगम से जवाब तलबी की गई। हाईकोर्ट की बेंच ने मांस की दुकानें बंद करने और पुरानी दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण न करने का जवाब मांगा है। भाजपा को जो उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित जीत मिली है उस पर सभी लोग हैरान हैं। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही कई सख्त कदम उठाए हैं जिनमें पशुवधशालाओं पर प्रतिबंध भी शामिल है। कसाईयों के सामने रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो गई है। मटन और चिकन व्यापारियों का कहना है कि पुलिस के दबाव के कारण उन्होंने अपनी दुकानें बंद की हैं। जिन वधशालाओं के पास लाइसेंस था उनके लाइसेंस का नवीनीकरण भी सरकार ने नहीं किया। अब उन्हें भाजपा की सरकार ने अवैध घोषित कर दिया है। हारलांकि इसमें कसाईयों का क्या कसूर है? सवाल यह है कि सरकार जनता की सुविधा के लिए बनाई जाती है तबाह करने के लिए नहीं। भाजपा उत्तर प्रदेश का कहना है कि चुनावी घोषणा पत्र में इसका उल्लेख था कि सत्ता में आने पर अवैध वधशालाएं बंद कर दिए जाएंगे। यह फैसले एक विशेष वर्ग को निशाना बनाने के लिए किया गया है। विपक्ष ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम की घोर निंदा की है। राज्य में 5 हजार से अधिक गोश्त की दुकानें बंद हैं। आजम खान ने कहा कि मुसलमान गोश्त खाना बंद कर दें।

जदीद मरकज (26 मार्च) ने सम्पादकीय में कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही फायर ब्रांड मुस्लिम विरोधी रूख तेज कर दिया है। प्रदेश के 21 प्रतिशत मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उनकी रक्षा के लिए हिन्दू ही सामने आते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पद का कार्यभार सम्भालने के बाद उन्होंने अपने मंत्रियों व विधायकों को निर्देश दिया कि वो उत्तेजित बयानबाजी करने की बजाय काम पर ध्यान दें। जब आदित्यनाथ के पुराने बयान मुसलमानों को नजर आते हैं तो वो सहम जाते हैं। लव जिहाद का बयान इस संदर्भ में विशेषरूप से उल्लेखनीय है जिसमें उन्होंने कहा कि था अब कोई सिकंदर हिन्दू लड़की से शादी नहीं कर सकेगा। अब कोई हिन्दू अपनी लड़की मुस्लिम को नहीं देगा। आजम खान अब तुम भी अपनी बेटियां हिन्दुओं को देने के लिए तैयार हो जाओ। अब हम मुसलमानों को बेटियां नहीं देंगे। आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाना एक लम्बी योजना का भाग है। नरेन्द्र मोदी ने उन्हें 2019 का चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतारा है। मोदी इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों ने नया भारत बनाने का रास्ता साफ किया है। आदित्यनाथ को सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है और न ही अर्थशास्त्री हैं। 1998 से वो लोकसभा सदस्य हैं। उन्होंने हिन्दू युवा वाहिनी बनाई। जब इस देश की पुलिस में 98 प्रतिशत हिन्दू हैं तो फिर हिन्दू युवा वाहिनी बनाने की क्या जरूरत है? मुसलमानों के खिलाफ गुंडागर्दी करने वाले वाहिनी को अब बल प्राप्त हो गया है और वो अब मुसलमानों का जीना मुश्किल कर देंगे। हम सोचते हैं कि मुसलमानों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुसलमानों को मशवरा देने वालों की बाढ़ आ गई है। कोई सामाजिक सुधार की बात कर रहा है तो कोई मुस्जिदों के दरवाजे सबके लिए खोलने की बात कह रहा है और भाजपा व आदित्यनाथ के साथ सहयोग करना चाहिए। इस साप्ताहिक पत्र के सम्पादक हिसाम सिद्दीकी ने इसके साथ यह भी धमकी दे डाली है कि अगर राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास की नीति से पीछे हटती है तो प्रदेश में मुसलमान 20 प्रतिशत हैं। उन्हें न तो समुद्र में फेंका जा सकता है और न ही अलग-थलग करके राज्य को तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। अगर किसी को गलतफहमी है कि उत्तर प्रदेश और भारत में एक ही विचारधारा चलेगी तो वो इस बात को भूल जाएं। एक ही विचाराधारा से कोई देश नहीं चलता। नेपाल को हिन्दुत्व का रास्ता छोड़ना पड़ा और पाकिस्तान अपनी सिल्वर जुबली मनाने से पहले टूट गया। आज पाकिस्तान में कोई ऐसा नागरिक नहीं कि घर से निकलते वक्त वो वापस घर जिंदा आ जाएगा। इसी समाचारपत्र ने एक अन्य लेख में एंटी रोमियो स्काउड बनाने की निंदा की है और कहा है कि सरकार प्यार की दुश्मन बन गई है। एक अन्य लेख में स्लॉटर हाउसों को बंद करने की निंदा की गई है और शिकायत की गई है कि मुसलमान दुकानदारों को अतिवादी परेशान कर रहे हैं और दुकानों को आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

VI

वन्दे मातरम् का विरोध करने पर आठ मुस्लिम पार्षद निलंबित

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस (31 मार्च) के अनुसार मुस्लिम पार्षदों का एक गुट सदन से उस वक्त बाहर निकला जब कुछ लोगों ने वन्दे मातरम् गाना शुरू कर दिया। इस बहिष्कार के बाद एक प्रस्ताव द्वारा इन 8 मुस्लिम पार्षदों की सदस्यता समाप्त करने के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया। महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने प्रस्ताव पेश किया और कहा कि जो भी व्यक्ति वन्दे मातरम् का विरोध करेगा उसका सदन में स्वागत नहीं किया जाएगा। मुस्लिम पार्षदों ने कहा कि वो हर कीमत पर वन्दे मातरम् का विरोध करते रहेंगे क्योंकि शरा के अनुसार उन्हें वन्दे मातरम् गाने की अनुमति नहीं है और जरूरी हुआ तो वो इस संदर्भ में न्यायालय की शरण लेंगे। इस घटना पर टिप्पणी करते हुए शाहिद अब्बासी नामक पार्षद ने कहा कि हमें संदेह की नजर से देखा जा रहा है।

इंकलाब (31 मार्च) के अनुसार मुस्लिम पार्षदों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय 17 फरवरी, 2017 को कह चुकी है कि राष्ट्रगान किसी पर जबरन नहीं थोपा जा सकता इसलिए नगर निगम ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो सरासर गलत है और कानून के खिलाफ है। निगम के महापौर ने कहा है कि वन्दे मातरम् का बहिष्कार करना राष्ट्र की तौहिन है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर विवाद खड़ा कर रहे हैं।

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस (4 अप्रैल) ने मुख्य पृष्ठ पर एक समाचार प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि भाजपा पार्षद की मांग पर वाराणसी के मेयर ने एक आदेश जारी करके हर पार्षद के लिए वन्दे मातरम् और जन-गण-मन गाना अनिवार्य करार दिया है। इससे पूर्व भाजपा पार्षद ने ये तराना गाने का एक प्रस्ताव पेश किया था जिस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने विरोध किया। ये विवाद गत सप्ताह शुरू हुआ था जबकि भाजपा के कॉरपोरेटर अजय गुप्ता ने ये प्रस्ताव पेश किया था कि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पूर्व राष्ट्रीय गान गाया जाए। इसका विरोध कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया था। इनके विरोध का सख्त नोटिस लेते हुए महापौर रामगोपाल मोहले ने कहा है कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का अपमान करने और उसके खिलाफ नारेबाजी करने पर सपा और कांग्रेस के पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सपा के पार्षद रविकांत विश्वकर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि हम सब 2017-18 के बजट पर बहस के लिए तैयार हो चुके थे मगर भाजपा के पार्षद अजय गुप्ता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सदन की कार्रवाई शुरू करने से पूर्व वन्दे मातरम् गाया जाएग जिसका विरोध सपा और कांग्रेस के पार्षदों ने किया। विश्वकर्मा ने कहा कि हम राष्ट्रीय गान का सम्मान करते हैं लेकिन मजबूरन गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। सपा के मुस्लिम पार्षद भी उसके खिलाफ हैं। अगर हम गाना नहीं चाहते तो भाजपा उसे गाने पर मजबूर कैसे कर सकती है। सदन में हुए हंगामे के बाद मेयर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही होने से पूर्व राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम् का गाया जाना अनिवार्य है और सदन की कार्यवाही समाप्त होने पर जन-गण-मन गाया जाना चाहिए। मेयर ने कहा कि कुछ पार्षदों ने संघ के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणियां की हैं जिसे सहन नहीं किया जा सकता।

VII

संवैधानिक बेंच को तीन तलाक का मामला

इंकलाब (31 मार्च) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक, हलाला और बहुपत्नी प्रथा को अत्यंत संवेदनशील मामला करार देते हुए इस पर विचार करने का काम एक संवैधानिक बेंच को सौंप दिया है जोकि 11 मई से इस मामले पर विचार शुरू करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का डॉ. असमा जाहिरा ने स्वागत किया और कहा है कि देश के सेक्युलर ढांचे एवं संविधान और धार्मिक आजादी की रोशनी में इस पर विचार किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय सभी याचिकाओं का अध्ययन करेगा। मुख्य न्यायाधीश ने 5 जजों की एक संवैधानिक बेंच का गठन किया है। सरकार से भी कई तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अदालत ने सभी पक्षों को निर्देश दिया है कि वो अपने सुझाव और प्रश्न अटॉनी जनरल पर जमा करवा दें। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस संबंध मे सिर्फ कानूनी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सभी पक्षों के एक-एक शब्द पर अदालत गौर करेगी। उन्होंने कहा कि अदालत कानून से बाहर नहीं जा सकती। इससे पूर्व केन्द्र सरकार की ओर से 4 प्रश्न अदालत में पेश किए गए। पहला प्रश्न ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता के तहत क्या तीन तलाक, हलाला और चार निकाहों की अनुमति संविधान के अंतर्गत की जा सकती है या नहीं? दूसरा प्रश्न, बराबरी के हक और प्रतिष्ठा के साथ जीने का हक और धार्मिक स्वतंत्रता में से किसको

प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तीसरा प्रश्न, पर्सनल लॉ को संविधान की धारा-3 के तहत कानून माना जाएगा या नहीं? चौथा प्रश्न, क्या तीन तलाक, निकाह, हलाला और एक से अधिक विवाह की अनुमति देना उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रकाश में सही होगा जिन पर भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत हस्ताक्षर कर चुकी है। दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 19 पृष्ठों पर आधारित एक याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि तीन तलाक, हलाला और बहुपत्नी प्रथा के लिए जो याचिका दायर की गई है उन्हें फौरन रद्द कर दिया जाए। इस पर अदालत को सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि ये सभी शरीयत का हिस्सा है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। बोर्ड ने अंतर्राष्टीय कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि हम किसी देश का अनुकरण नहीं कर सकते हम वही कर रहे हैं जो कुरान में दिया गया है।

VIII

दरगाह के सज्जादा नशीन के गायब होने पर विवाद

इंकलाब (21 मार्च) के अनुसार दिल्ली की दरगाह निजामुद्दीन औलिया के दोनों सज्जादा नशीन सैयद आसिफ अली निजामी और सैयद नाजिम अली निजामी भारत वापस लौट आए हैं। ये दोनों दो सप्ताह पूर्व पाकिस्तान अपनी बड़ी बहन से मिलने और वहां की दरगाहों का दौरा करने के लिए गए थे और वहां इनके पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी ने अपनी हिरासत में ले लिया था। इन लोगों के लापता होने के बाद उनके परिजनों ने इस संदर्भ में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से सम्पर्क स्थापित करके उनसे मांग की थी कि भारत सरकार पाकिस्तान पर दबाव डालकर इन दोनों उलेमाओं को रिहा करवाए। इसके बाद सुषमा स्वराज ने इनकी रिहाई के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित किया था। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने इन दोनों व्यक्तियों को रिहा कर दिया और उन्हें भारत भिजवाने की व्यवस्था की।

दिल्ली वापस आने के बाद इन दोनों उलेमाओं ने सबसे पहले दरगाह निजामुद्दीन में मजार पर चादर चढ़ाकर हजरत औलिया का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वो अपने परिजनों सहित श्रीमती सुषमा स्वराज से मिलने के लिए चले गए। ज्ञातव्य है कि यह दोनों सज्जन सबसे पहले कराची गए थे जहां उनकी बड़ी बहन रहती है। इसके बाद वो लाहौर में दरगाह दाता गंजबख्श और पाटपटन में स्थित बाबा फरीद की जियारत के लिए गए थे। इन दोनों उलेमाओं ने बताया कि उन्हें पाकिस्तान के गुप्तचर विभाग ने अपनी हिरासत में ले लिया था और उनसे दो दिन तक पूछताछ की गई। उन्होंने दावा किया कि उनके हिरासत में लिए जाने के बाद पाकिस्तान के एक उर्दू अखबार ने एक समाचार प्रकाशित किया था जिसमें उन पर यह आरोप लगाया गया था कि उनका संबंध भारत की गुप्तचर एजेंसी रॉ से है और वो कराची में मुतहिदा कौमी मूवमेंट के अधिकारियों से मिलने के लिए गए थे। सैयद नाजिम अली निजामी ने कहा कि वो अपने साथ इस समाचारपत्र की एक प्रतिलिपि भी लाए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग पाकिस्तान में सूफियों की जियारत के लिए आते-जाते रहते हैं और हम भाईचारा, एकता आदि का संदेश देते हैं। सैयद आसिफ अली निजामी के बेटे सैयद साजिद अली निजामी ने कहा कि उनके पिता इस बात को नहीं जानते कि दो दिन उन्हें कहां रखा गया था और उनसे किसने पूछताछ की थी। इसी समाचरपत्र ने एक समाचार इसी संदर्भ में छापा है जिसमें दावा किया गया है कि भाजपा के वरिष्ठ सुब्रमण्यम स्वामी ने इन दोनों पर देशद्रोही गतिविधियों में भाग लेने का आरोप लगाया है और कहा कि ये मौलवी पाकिस्तान में राष्ट्रहितों के खिलाफ काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ओर तो दावा कर रही थी कि

इनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और दूसरी ओर पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी की हिरासत में ये दोनों थे। उन्होंने कहा कि निजामी बंधु कराची एयरपोर्ट से अचानक लापता हो गए थे।

दैनिक सहाफत (21 मार्च) के अनुसार इन दोनों मौलवियों ने यह रहस्योद्घाटन किया है कि उन्हें पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसियों ने अपना बंधक बनाया था। आसिफ निजामी अपनी बहन कमरजहां से मिलने कराची गए थे और वहां एक सप्ताह रूकने के बाद 13 मार्च को दोनों हवाई जहाज से लाहौर पहुंचे। 15 मार्च को दोनों वापस लाहौर से कराची के लिए रवाना हुए लेकिन हवाई अड्डे पर नाजिम अली को पाकिस्तानी सरकार के जासूसों ने अपने कब्जे में ले लिया और उनके मुंह पर काला कपड़ा बांधकर अज्ञात जगह पर ले गए जबकि आसिफ कराची पहुंच गए। उन्होंने कराची हवाई अड्डे से नाजिम निजामी के गुम होने के बारे में अपने परिजनों को सूचना दी थी। कराची एयरपोर्ट में उन्हें लेने के लिए आए उनके रिश्तेदार को भी पाकिस्तान गुप्तचरों ने उन्हें बंधक बनाकर उन्हें अज्ञात जगह पर ले गए। वहां पर उन्हें नाजिम अली भी दिखाई दिए। इन दोनों से इन दिन तक पाकिस्तान गुप्तचर अलग-अलग पूछताछ करते रहे। तीन दिन के बाद उन्हें अचानक छोड़ दिया गया।

पश्चिमी एशिया

I

सउदी अरब द्वारा पचास लाख विदेशियों के निष्कासन की योजना

इत्तेमाद (8 मार्च) के अनुसार सउदी अरब की सरकार ने देश में अवैध रूप से रहने वाले 50 लाख विदेशी नागरिकों को देश से बाहर निकालने का अभियान तेज कर दिया है। इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। सरकार के एक प्रवक्ता डॉ. सादिक फाजल ने कहा कि विदेशी भारी संख्या में धार्मिक स्थानों की जियारत की आड़ में सउदी अरब में दाखिल होते हैं और वो फिर अवैध रूप से इस देश में बस जाते हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी नागरिकों का पता लगाने के लिए सैनिकों को छापे मारने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हीं लोगों को सउदी अरब में रहने दिया जाएगा जोकि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व भी सउदी अरब सरकार 15 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों को वहां से निकाल चुकी है। सरकारी तौर पर यह स्वीकार किया गया है कि आर्थिक संकट के कारण कुछ कम्पनियां बंद हो गई हैं इसलिए ढाई-तीन लाख विदेशी नागरिक बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार होने वाले कुछ भारतीय नागरिकों ने बताया कि उनमें से अधिकांश को उनके बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है इसलिए वो भूखे मर रहे हैं। एक अन्य समाचार के अनुसार जब इन बेरोजगार व्यक्तियों ने सउदी अरब में कुछ जगहों पर प्रदर्शन किए तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उन्हें कोड़े मारने के अतिरिक्त कैद की सजा भी दी है।

सियासत (15 मार्च) ने दावा किया है कि सउदी सरकार की नीति अब ये है कि विदेशी नागरिकों को नौकरियां देने की बजाय सउदी अरब के नागरिकों को ही नौकरियां दी जाए। सउदी सरकार ने 12 लाख नौकरियां अपने नागरिकों को देने की योजना तैयार की है। इसका लक्ष्य सउदी नागरिकों में बढ़ती हुई बेरोजगारी को खत्म करना है। हाल में ही 16 हजार महिलाओं को मोबाइल सर्विस में नियुक्त किया गया है। ये सभी महिलाएं सउदी नागरिक हैं।

II

पाकिस्तान में जनगणना

सियासत (15 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान में पिछले 19 सालों के बाद पहली बार जनगणना शुरू की जा रही है। जनगणना के लिए दो लाख सैनिकों की ड्यूटी लगाई गई है। जनगणना का कार्य 25 मई तक जारी रहेगा। पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता आसिफ गफ्फूर ने कहा कि जनगणना करने वाले सिविलियनों के साथ-साथ कम से कम एक सैनिक होगा जोकि घर-घर जाकर वहां रहने वाले लोगों का नाम व अन्य ब्यौरा दर्ज करेगा। इस जनगणना में 2 लाख सैनिकों के अतिरिक्त सवा लाख सिविलियन स्टाफ भी शामिल होगा। इन्हें जनगणना के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। जनगणना 4 भागों में होगी और इस

पर साढ़े 18 अरब रुपए खर्च होने की सम्भावना है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो पाकिस्तानी नागरिक अपने या अपने परिवार के बारे में गलत जानकारी देगा उसे 6 महीने की सजा और 50 हजार का जुर्माना किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि इससे पहले पाकिस्तान की जनगणना 1998 में हुई थी। उस वक्त पाकिस्तान की जनसंख्या 18 करोड़ बताई गई थी।

III

चीन और सउदी अरब के बीच नए संबंध

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस (21 मार्च) के अनुसार सउदी अरब के सम्राट सलमान बिन अब्दल अजीज से चीन और जापान के दौरे के बाद दोनों देशों के बीच नए युग की शुरूआत हुई है। जापानी प्रधानमंत्री ने अर अरेबिया न्यूज़ चैनल को दिए गए एक विशेष इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि अरब जगत में सउदी अरब की विशेष भूमिका है। उन्होंने कहा कि गत 46 वर्ष में यह पहला अवसर है जबकि सउदी अरब के किसी शासक ने जापान का दौरा किया है। 1971 में सउदी अरब के तत्कालीन ने जापान का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि सउदी अरब और जापान के बीच विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सहयोग बढ़ा है। जापान इस बात का प्रयास करेगा कि सउदी अरब की पेट्रोल की आमदनी पर आर्थिक निर्भरता कम हो जाए और उसका अन्य आर्थिक क्षेत्रों में विकास हो। समाचारपत्र ने कहा है कि चीन और जापान के दौरे के दौरान सउदी अरब के इन दोनों देशों के बीच 27 संधियों पर हस्ताक्षर हुए हैं। चीन के विश्वविद्यालय ने सउदी अरब के सम्राट को 3 मानक डिग्रियां प्रदान की हैं और उन्हें 5 नागरिक सम्मान भी प्रदान किए हैं। चीन ने इस बात पर जोर दिया है कि फिलीस्तिन की समस्या को अरब शांति योजना और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुरूप हल किया जाए। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों में संबंध बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। चीन में सउदी अरब 65 अरब डॉलर का पूंजी निवेश करेगा। इंडोनेशिया ने भी सउदी अरब के साथ 11 संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनका लक्ष्य आपस में सहयोग को बढ़ाना है। इंडोनेशिया और सउदी अरब ढाई अरब डॉलर की लागत की विभिन्न परियोजनाओं में सहयोग देगा। इनमें आवास, बिजली उत्पादन और पर्यटन शामिल हैं। सउदी अरब और जापान के बीच ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्रों में अनेक संधियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जापान सउदी अरब में कार बनाने की कई परियोजनाओं का भी श्रीगणेश करेगा।

IV

यूरोप में तुर्की विरोधी अभियान

मुंसिफ (22 मार्च) के अनुसार समाचारपत्र ने मोहम्मद उमर इब्राहिम का एक लेख प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि तुर्की में संवैधानिक सुधारों पर जो जनमत संग्रह हो रहा है उसके खिलाफ यूरोप के कई अन्य देशों के लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। जर्मन चांसलर ने कहा कि हमने विस्तार से इस्लामी आतंकवाद सहित अन्य कई मुद्दों पर बातचीत की है और हमने इस मुद्दे पर आपस में सहयोग करने का फैसला किया है। जर्मन चांसलर के इस बयान का तुरंत तुर्की राष्ट्रपति ने खंडन किया और कहा

कि इस्लामिक स्टेट को आधार बनाकर इस्लामी उग्रवाद की चर्चा करना खेदजनक है और इन शब्दों से मुसलमानों को भारी नाराजगी है। समाचारपत्र ने कहा है कि ट्रम्प के पथचिन्हों पर जर्मन राष्ट्रपति का चलना बेहद खेदजनक है। लोगों को आशा थी कि ट्रम्प ने जो रूख अपनाया है जर्मन उसका निराकरण करेगा। अगले महीने तुर्की में संवैधानिक सुधारों पर जनमत संग्रह होने वाला है। इसकी कुंजी यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाले 50 लाख तुर्की मूल के नागरिकों पर है। इनमें से 14 लाख वोटर जर्मनी में रहते हैं इसलिए उनके वोटों का बहुत महत्व है। तुर्की के राष्ट्रपति यूरोप में रहने वाले तुर्की नागरिकों में इन सुधारों के पक्ष में वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं जोकि यूरोप के देशों को पसंद नहीं है। यूरोप के देशों में तुर्की की सरकार को इस आधार पर प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जा रही कि इससे साम्प्रदायिक तनाव पैदा होगा। यही कारण है कि हॉलैंड की सरकार ने प्रचार के लिए गए तुर्की के दो मंत्रियों को वहां प्रचार की अनुमति नहीं दी है और वहां वापस भेज दिया है। स्वीडन में तुर्कों ने एक रैली आयोजित की थी मगर सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसी तरह डेनमार्क के प्रधानमंत्री भी इसका विरोध कर रहे हैं। तुर्की में जो संवैधानिक सुधारों का प्रयास चल रहा है उसका ब्रिटेन भी विरोध कर रहा है।

मुंसिफ (13 मार्च) के अनुसार हॉलैंड में एक तुर्क मंत्री को देश से निष्कासित किए जाने के खिलाफ तुर्क प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़पे हुई। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यलदीरीम ने कहा है कि इस अपमान को कदापि सहन नहीं किया जाएगा। तुर्की मंत्री फातिमा बतूल तुर्की में रहने वाले तुर्कों में तुर्की के राष्ट्रपति के अधिकारों में होने वाले वृद्धि के लिए समर्थन प्राप्त के लिए आई थी। डच सरकार का कहना है कि इस तरह की हरकतों से हॉलैंड में तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए हॉलैंड की सरकार ने तुर्की मंत्री को दूतावास में प्रवेश की अनुमति नहीं दी और अपनी निगरानी में जर्मनी की सीमा तक पहुंचा दिया जहां से उन्हें निष्कासित कर दिया गया।

V

मक्का में निजाम रबात

सियासत (24 मार्च) ने मक्का में स्थित निजाम रबात के बारे में एक विशेष फीचर प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि गत दो दशकों में 91 हजार से अधिक हाजी इस रबात में मुफ्त आवास की सुविधा उठा सकते हैं और मुफ्त खाना खा सकते हैं। इसमें पुरानी रियासत के लोगों को मुफ्त ठहराया जाता है। अखबार ने दावा किया है कि 18वीं शताब्दी में काबा के समीप निजाम अफजल दौला ने काफी सम्पत्ति खरीदी थी जिनमें हाजियों के आवास के लिए मुफ्त व्यवस्था थी। आठवें निजाम मीर बरकत अली ने इसे निजाम स्टेट का नाम देकर वक्फ सम्पत्ति के तौर पर पंजीकृत करवाया। प्रतिवर्ष इस भवन में 1,284 हाजियों के मुफ्त रियासत की व्यवस्था की जाती है और चयन लॉटरी द्वारा किया जाता है। पुरानी रियासत हैदराबाद के लोग जिनमें कर्नाटक के बीदर, गुलबर्ग, रायचूर, यादगिर, महाराष्ट्र का उस्मानाबाद, बीड़, नांदेड़, परबनी, लातूर और जालना के अतिरिक्त तेलंगना से संबंध रखने वाले हाजी भी शामिल हैं। इन लोगों के लिए मुफ्त खाने की भी व्यवस्था है। इसका मतवली एक वकील हुसैन मोहम्मद अल शरीफ को बनाया गया है।

विश्व

I

सउदी अरब द्वारा मालदीव के द्वीप को खरीदना भारत के लिए नया सिरदर्द

इंकलाब (4 मार्च) के अनुसार मालदीव द्वारा एक टापू बेचे जाने की चर्चा के कारण भारत सरकार को परेशानी हो रही है। विपक्षी दल मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा है कि इससे देश वहाबी विचारधारा को प्रोत्साहन मिलेगा। ज्ञातव्य है कि मालदीव के काफी लोग आईएस की सेना में शामिल हैं। इससे पहले मालदीव में वहाबी विचारधारा के काफी लोग मौजूद हैं। इससे पूर्व पाकिस्तान ने भी इस क्षेत्र में अपने पैर पसारने का प्रयास किया था और उसने एक द्वीप को खरीदकर वहां अपना अड्डा बनाने की योजना बनाई थी मगर बाद में भारत सरकार के विरोध के कारण ये सौदा रद्द कर दिया गया। चीन भी मालदीव के द्वीप में अपने नौसेना के अड्डा बनाने का प्रयास कर रहा है। उसका एकमात्र लक्ष्य भारत को घेरना है। पूर्व विदेश मंत्री अहमद नसीम ने कहा है कि सरकार ने सउदी अरब को अपना टापू बेचने के बारे में जनता से कोई राय नहीं ली है। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व मालदीव की भूमि को किसी भी विदेशी को बेचना देश के प्रति के गद्दारी के श्रेणी में आाता था जिसके लिए मौत की सजा निर्धारित थी मगर 2015 में सरकार ने संविधान में संशोधन किया है जिसके अनुसार मालदीव में विदेशियों को भूमि खरीदने की अनुमति दी गई है। भारत का इरादा मालदीव के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का नहीं है। ज्ञातव्य है कि राजीव गांधी के शासनकाल में जब विद्रोहियों ने मालदीव की सत्ता पर कब्जा करना चाहा तो भारत सरकार ने इसे विफल बनाने के लिए अपनी नौसेना मालदीव भेजी थी। मालदीव में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। विपक्षी दल मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशिद इन दिनों लंदन में रह रहे हैं। उन्होंने हाल में ही एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मालदीव में चुनाव निष्पक्ष रूप से हों। ये भारत की नैतिक जिम्मेदारी है। भारत के विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर ने पिछले दिनों मालदीव को दौरा किया था। मालदीव के विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी का आरोप है कि मालदीव की वर्तमान सरकार सउदी अरब की वहाबी सरकार से अपने संबंध बढ़ा रही है और अरब के दबाव पर ईरान के साथ उसने अपने संबंध तोड़ लिए हैं। मालदीव के पास अनेक द्वीप हैं। इनमें से एक सउदी अरब को बेचा जा रहा है। सउदी अरब प्रतिवर्ष मालदीव के 300 छात्रों को सउदी अरब में शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां देता है। मालदीव में पहले से ही 70 प्रतिशत लोग वहाबी विचारधारा के हैं।

II

मुस्लिम पीर द्वारा 20 लोगों की हत्या

इंकलाब (4 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तानी पंजाब के जिला सर्गोधा में एक गांव के मजार के पीर को 20 लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल वाहिद नामक इस पीर ने पुलिस को बताया कि उसने जिन लोगों की हत्या की है उन्होंने उसके मुर्शिद को जहर देकर मार दिया था। इसके बाद उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की थी जिसके बाद मैंने सबको

चाकू और डंडे मारकर हत्या कर दी। अब्दुल वाहिद ने कहा है कि जिन लोगों की हत्या की गई है वो सब उसके मुरीद (चेले) थे। उन्हें पाप से मुक्त करने के लिए डंडे मार-मारकर उसने हत्या की है। अब्दुल वाहिद ने अपने चेलों को कहा था कि मैं तुम्हें बाद में जिन्दा कर दूंगा। इस पीर ने कहा है कि मैंने सही काम किया है। कुछ घायलों ने पुलिस को बताया कि पीर साहब अपने अनुयायियों को डंडे मारते रहे और मार-मारकर मौत के घाट उतार दिया। पीर के ड्राइवर ने कहा कि पीर शराब पिया करते थे। पुलिस ने मजार के अन्य कर्मचारियों को भी हत्या के आरोप में रिगफ्तार किया है जिन पर 3 दर्जन लोगों की हत्या का आरोप है जोकि इस पीर के अनुयायी बताए जाते हैं। पुलिस ने पीर अब्दुल वाहिद और उसके तीन साथियों को पूछताछ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है। सर्गोधा के डिप्टी कमीशनर लियाकत चट्ठा ने बताया कि इस जांच के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। घायलों से एक व्यक्ति मोहम्मद तौफीर ने बताया कि ये मजार 2 वर्ष पूर्व बना था और हम सब पीर के चेले थे। पीर ने हमें विश्वास दिलाया था कि हम गुनाहगार हैं इसलिए गुनाह से पाक होने के लिए हमें उससे डंडे खाने होंगे। उसने कहा कि इस पीर की ओर से अपने अनुयायियों को उपदेश दिया करता था।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (3 अप्रैल) के अनुसार पाकिस्तान में एक दरगाह में 20 व्यक्तियों की हत्या की गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीर ने अपने अनुयायियों को एक-एक कर दरगावह में बुलाया और जैसे ही वो दरगाह में आए पीर डंडों से उनकी हत्या करता है। सरकारी सूत्रों अनुसार एक पूर्व अधिकारी है और वो पहले पंजाब इलेक्शन कमीशन में काम करता था। उसकी उम्र 50 वर्ष की है। पुलिस के अनुसार मृतकों को चाकू व डंडों से मारा गया है। जैसे ही मुरीद दरबार में पहुंचते थे तो उन्हें नशा पिलाया जाता था और डंडों से मार-मारकर हत्या कर दी जाती थी। पुलिस को भारी संख्या में इस दरगाह के चारों तरफ तैनात किया गया है ताकि कोई हिंसक गतिविधि न हो।

III

सिंकियांग में बुर्का और दाढ़ी पर प्रतिबंध

इंकलाब (31 मार्च) के अनुसार चीनी सरकार ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र सिंकियांग में मुसलमानों के दाढ़ी रखने और महिलाओं के बुर्का पहनने पर कानूनन प्रतिबंध लगा दिया है। इस कानून को 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। ज्ञातव्य है कि चीन के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में काफी समय से तनाव चल रहा है और वहां पर मुसलमानों और सरकारी सेनाओं में मुठभेड़ के कारण सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। मानवाधिकार संरक्षण संगठनों के अनुसार इस अशांति का कारण चीन की सख्त नीतियां हैं। नए कानून के तहत रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट और बाजार में नियुक्त अधिकारियों को इस बात का अधिकार होगा कि कोई व्यक्ति या महिला अपने शरीर या चेहरे को न डके। नए कानून के अनुसार अगर बच्चे कोई गलत हरकत करते हैं या उन्हें जिहाद की शिक्षा दी जाती है तो उनके अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नए कानून के अनुसार अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो या वो परिवार नियोजन में भाग नहीं लेता है और सरकारी दस्तावेजों को क्षति पहुंचाता है, दाढ़ी रखता है या धार्मिक तर्ज के नाम रखता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व भी सिंकियांग में मुसलमानों पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं। बुर्का ओढ़ने वालों पर प्रतिबंध है।

IV

इमाम का निष्कासन

इंकलाब (4 अप्रैल) के अनुसार सिंगापुर सरकार ने ईसाईयों और यहूदियों के खिलाफ नफरत भड़काने के आरोप में हिन्दुस्तानी इमाम अब्दल जमील को सिंगापुर से निष्कासित करने का आदेश जारी किया है। न्यूज़ एशिया चैनल के अनुसार साम्प्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप में इस हिन्दुस्तानी इमाम पर 2,840 डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है। इस वर्ष फरवरी माह में सोशल मीडिया में इस इमाम का एक बयान वायरल हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि यहूदियों और ईसाईयों के खिलाफ अल्लाह हमारी मदद करेगा। जमील ने अदातल के फैसले के बाद जुर्माना दे दिया और अएब उसे भारत वापस भेजा जा रहा है। इस बयान के लिए इमाम ने ईसाई, सिख, बोद्ध और हिन्दू धार्मिक नेताओं के सामने माफी मांगी थी।

V

पाकिस्तान में हिन्दू मैरिज एक्ट

सहाफत (20 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हिन्दू मैरिज बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके बाद यह कानून बन गया है। रेडियो पाकिस्तान के प्रसारण के अनुसार अब हिन्दू शादियों और अन्य पारिवारिक मामलों को पाकिस्तान के कानून का संरक्षण प्राप्त हो गया है। प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ ने इस कानून पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को बराबर मौके दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक भी राष्ट्रभक्त और पाकिस्तानी हैं। उनके हक को संरक्षण प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हिन्दू बहुल क्षेत्रों में हिन्दू विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे। यह कानून हिन्दू बिरादरियों को विवाह और तलाक के बारे में अलग अधिकार प्रदान करेगा और इसके तहत औरतों व बच्चों को भी आर्थिक संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि यह कानून पिछले साल पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेम्बली में पेश किया गया था जिसे बाद में अपर हाउस ने भी स्वीकृति प्रदान की थी। इस कानून के तहत तलाक लेने वाले हिन्दुओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार भी दिया गया है और विधवा विवाह की भी व्यवस्था की गई है मगर विधवा अपने पहले पति के मरने के 6 महीने बाद ही पुनर्विवाह कर सकती है। कानून का उल्लंघन करने के लिए सजा और जुर्माने की व्यवस्था भी की गई है। हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह करने वाले लोगों को विवाह का कानूनी प्रमाण-पत्र भी जारी किया जाएगा। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हिन्दुओं के लिए एक अलग कानून बनाया गया है। यह वर्तमान कानून सिंध के अतिरिक्त पाकिस्तान के अन्य सभी राज्यों पर लागू होगा। सिंध में पहले ही हिन्दू विवाह कानून की व्यवस्था है।

VI

पाकिस्तान में महिला विदेश सचिव

इंकलाब (21 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार एक महिला ने विदेश सचिव का पदभार सम्भाला है। इस महिला का नाम तहनीमा जंजुआ है। इससे पूर्व यह महिला संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही थी। पाकिस्तानी विदेश सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी फरख आलम को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बड़े पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले आलम जापान में पाकिस्तान के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे थे। पाकिस्तान की नई विदेश सचिव 1984 में पाकिस्तान की विदेश सेवा में शामिल हुई थी। दिसम्बर, 2012 से 2015 तक वो रोम में पाकिस्तान के राजदूत के पद पर नियुक्त रही थीं। जब से पाकिस्तान बना है तब से पुरुष ही विदेश सचिव के रूप में कार्य करते आ रहे हैं।

VII

चीन द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता

मुंसिफ (18 मार्च) के अनुसार चीन ने पाकिस्तान को बलास्टि मिसाइल और युद्धपोत विमान तैयार करने के क्षेत्र में सहयोग देने का निर्णय देने की घोषणा की है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने हाल में ही चीन का दौरा किया है और उन्होंने चीन के केन्द्रीय सहयोग आयोग के पदाधिकारियों एवं चीन की सेना के तीन अंगों के प्रमुखों से लम्बी बातचीत की। चीनी सूत्रों के अनुसार चुनाव ने यह फैसला किया है कि वह पाकिस्तान को अति आधुनिक मिसाइल बनाने और आधुनिकतम युद्ध विमानों का निर्माण करने के लिए सहयोग देगा। इस लक्ष्य के लिए पाकिस्तान में कई कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। चीन में नियुक्त पाकिस्तानी राजदूत मासूद खालदी ने संवाददाताओं को बताया कि चीन और पाकिस्तान के बीच जो आर्थिक गलियारा बना है उसकी रक्षा के लिए पाकिस्तान 15 हजार से अधिक सैनिकों को तैनात करेगा। ग्वादर के बंदरगाह की रक्षा के लिए एक विशेष सैनिक संगठन बनाया गया है जोकि आतंकवादियों से पाकिस्तान की रक्षा करेगा ताकि वह इस गलियारे और बंदरगाह को अपना निशाना न बना सकें। चीन सरकार ने आधुनिक मिसाइलों का निर्माण करने के लिए पाकिस्तान में संयुक्त क्षेत्र में कारखाने लगाने का भी फैसला किया है। ज्ञातव्य है कि इससे पहले भी पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम में चीन काफी समय से सहयोग दे रहा है। इस समय पाकिस्तान के पास जो भी मिसाइल है उनमें से अधिकांश उसे चीन से प्राप्त हुए हैं।

अन्य

I

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम विधायकों की कमी

सहाफत (13 मार्च) के अनुसार उत्तर प्रदेश में मोदी आंधी के कारण इस बार विधानसभा तक पहुंचने वाले मुसलमानों की संख्या में भारी गिरावट आई है। बसपा ने भारी संख्या में मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था। इसी तरह सपा ने भी मुसलमानों को अपना उम्मीदवार जबकि भाजपा ने एक भी मुसलमान को अपना टिकट नहीं दिया। बसपा ने 97, सपा ने 59 मुस्लिम उम्मीदवसर मैदार में उतारे थे लेकिन 24 मुस्लिम उम्मीदवार ही जीत पाए। 2012 के चुनाव में 64 उम्मीदवार विधानसभा तक पहुंचे थे। इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा 19 उम्मीदवार सपा और कांग्रेस के गठाजोड़ से विजयी हुए हैं जबकि बसपा के 5 मुस्लिम उम्मीदवार ही जीत पाए हैं। इससे पूर्व 1991 में बहुत कम मुस्लिम संख्या विजयी हुए थे मगर इसके बाद हुए चुनाव में वृद्धि होती गई।

हमारा समाज (13 मार्च) के अनुसार 27 मुस्लिम बहुल सीटों पर मुसलमान आपसी लड़ाई में हारे। हाल के विधानसभा चुनाव में 85 मुस्लिम उम्मीदवार दूसरे नम्बर पर रहे। 27 सीटों पर उनका दूसरा नम्बर रहा। अतरोल और खलीलाबाद में मुस्लिम उम्मीदवारों की भीड़ लग गई थी। डूमरियागंज में बसपा की शहिदा खातून और सेहराबस्ती से मोहम्मद रमजान (सपा) की बहुत कम वोटों से हार हुई। इन दोनों ने भाजपा से हार खाई। 70 क्षेत्र ऐसे हैं अगर वहां पर बसपा और सपा कांग्रेसी उम्मीदवार खड़े न करती तो भाजपा का उम्मीदवार जीत ही नहीं पाता। इलाहाबाद दक्षिणी क्षेत्र में सपा के जुल्फकार अली भुट्टो और कांग्रेस के नजीर अहमद दूसरे नम्बर पर रहे। अलीगढ़ में सपा के जफर आलम और बसपा के मोहम्मद रफीक दूसरे व तीसरे नम्बर पर रहे।

सहाफत (13 मार्च) के अनुसार कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर कांग्रेस जीती। सबसे चर्चित सीट देवबंद की है जहां भाजपा के उम्मीदार ब्रिजेश ने 30 हजार वोटों से जीत प्राप्त की। दूसरे नम्बर पर बसपा के माजिद अली और तीसरे नम्बर पर सपा के माविया अली रहे। शामली जिला के थाना भवन क्षेत्र से भाजपा के सुरेश राणा ने बसपा के उम्मीदवार अब्दुल वारिस खां को हराया। मुरादाबाद में भी भाजपा जीती। मुरादाबाद नगर क्षेत्र से वर्तमान विधायक यूसुफ अंसारी भाजपा के रित्नेश कुमार गुप्ता से हार गए। कांठ क्षेत्र पर भी भाजपा के राजेश कुमार चुन्नू विजयी रहे। उन्होंने सपा के अनीस उर रहमान को 24 हजार वोटों से हराया। फैजाबाद को रदौली क्षेत्र से भाजपा के रामचन्द्र यादव ने सपा के अब्बास अली जैदी को 30 हजार वोटों से पराजित किया। बसपा के फिरोज खां को भी 47 हजार वोट मिले। बलरामपुर जिला की अतरौला सीट से भाजपा के रामप्रताप ने सपा के आरिफ अनवर हाशमी को हराया।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने की **अखबार मशरिक** (20 मार्च) ने आलोचना की है। समाचारपत्र ने शिकायत की है कि नरेन्द्र मोदी ने विकास की बजाय हिन्दुत्व को महत्व दिया है। वैसे भी उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान में प्रधानमंत्री हिन्दुत्व का राग अलापते रहे हैं। योगी को क्योकि प्रशासन का तजुर्बा नहीं है इसलिए उनकी सहायता के लिए दो लोग उपमुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए हैं। इसका उद्देश्य ब्राह्मणों और पिछड़ी जातियों को संतुष्ट करना है। समाचारपत्र ने स्वीकार किया है कि योगी के मुख्यमंत्री बनाए जाने से मुसलमान परेशान है। क्योंकि योगी का रूख शुरू से ही मुस्लिम विरोधी रहा है। समाचारपत्र ने आशा व्यक्त की है कि योगी अपने पुराने रवैये को बदलकर सबका साथ, सबका विकास पर ज्यादा जोर दें।

II

आतंकवाद के आरोपियों को बचाने का प्रयास

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस (4 अप्रैल) के अनुसार पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आतंकवादी होने के आरोप में पकड़े गए लोगों में जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं जमीयत ए उलेमा (अरशद मदनी गुट) मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाएगा। कमेटी के अधयक्ष गुलजारी आजमी ने बताया कि इश्तगासा के अनुसार 2 अक्टूबर, 2014 को पश्चिम बंगाल के नगर बर्दवान के समीप एक घर में बम बनाते हुए धमाका हुआ जिसके बाद इस घर से पुलिस ने दो महिलाओं और अन्य कई लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों का दावा है कि ये बम धमाका नहीं था बल्कि गैस सिलेंडर फटा था। इस मामले के बारे में अरशद मदनी को कई ज्ञापन प्राप्त हुए थे। अब जमीयत ए उलेमा इस मामले की जाचं करने और मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए मुम्बई से एक वकील शाहिद नदीम को भेजा गया है। इस वकील ने आरोपियों से जेल में मुलाकात करने के बाद बताया कि जिन दो महिलाओं गुलशन बीबी और अलीमा बीबी को आतंकवादी होने के आरोप में पकड़ा गया था उन्होंने जेल में ही एक-एक बच्चे को जन्म दिया है। अदालत में इस केस में आरोपत्र दाखिल किया जा चुका है। गुलजार आजमी ने कहा कि स्थानीय वकीलों से सम्पर्क स्थापित करके इस मुकदमे के आरोपियों को जेल से रिहा करवाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर आरोप है कि वो प्रतिबंधित संस्था जमाते अल मुजाहिद्दीन के सदस्य हैं और भारत में आतंकवादी गतिविधियों में जुट हुए थे और उनका संबंध अलकायदा से है। आजमी ने कहा कि आतंकवादी होने के आरोप में जो मुसलमान पकड़े जाते हैं हम उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाते हैं और उनके मुकदमे लड़ते हैं। इसके अतिरिक्त उनके परिजनों को भी आर्थिक सहायता दी जाती है।

III

हरियाणा में साम्प्रदायिक तनाव भड़काने का अभियान

कुछ समाचारपत्रों ने हरियाणा में साम्प्रदायिक तनाव भड़काने का अभियान छेड़ दिया है। **हमारा समाज** (31 मार्च) के सलीम आमिर ने एक खबर में ये शिकायत की है कि गुड़ंगाव में में मुसलमानों को इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है कि वो मदरसा में नमाज न पढ़ें। तर्क ये दिया गया है कि नमाज से अशांति फैलती है। बताया जाता है कि स्थानीय लोगों के कारण पहले तो पुलिस ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दिया मगर बाद में उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप पर ये फैसला किया गया कि केवल पांच गलियों के रहने वाले लोग ही इस मदरसा की मस्जिद में नमाज पढ़ सकते। अगर बाहरी लोग आते हैं तो वो किसी भी घटना के स्वयं जिम्मेवार होंगे। समाचारपत्र ने दावा किया है कि पालम बिहार के गांव कातिरपुरी के ओमबिहार बस्ती में एक मदरसा जामिया इस्लामिया है। कुछ समय पूर्व इस क्षेत्र के लोगों ने पंचायत बुलाकर कहा कि वो इस मदरसा में बनाई गई मस्जिद में नमाज न पढ़ें। इसलिए वो अपने-अपने घरों में नमाज पढ़ सकते हैं। इस पर मुसलमानों ने कहा कि आप हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते क्योंकि संविधान ने अपने धर्म के अनुसार अनुकरण करने की अनुमति दी है। उनका कहना था कि

हमने किसी को कभी मंदिर में पूजा करने से नहीं रोका। थानाध्यक्ष ने कहा कि क्योंकि वो मदरसा है वो मदरसा है इसलिए उसमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। बताया जाता है कि थानेदार के इस रूख से रूष्ठ होकर मुसलमानों ने उच्चाधिकारियों से सम्पर्क किया। उच्चाधिकारियों के दबाव पर थानाध्यक्ष ने मुसलमानों को निर्देश दिया कि सिर्फ 5 गलियों के निवासी ही इस मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। कुछ मुसलमानों ने शिकायत की है कि जब हमने नमाज जारी रखी तो हमें पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। पुलिस के डीसीपी का कहना है कि ये कॉलोनी गैरकानूनी और मस्जिदा का निर्माण अवैध है। इसलिए ये कार्रवाई की गई है। मुसलमानों का आरोप है कि उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है।

IV

अजमेर दरगाह द्वारा गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग

हिन्दुस्तान एक्सप्रेस (4 अप्रैल) के अनुसार अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख दीवान सैयद जैनुल अबेदीन ने कहा है कि मांस के व्यापार पर देश के दो सम्प्रदायों में बढ़ते हुए तनावों को रोकने के लिए ये जरूरी है कि देशभर में सरकार गोवंश के सभी पशुओं के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए और गोवंश के मांस की देशभर में बिक्री की अनुमति नहीं होनी चाहिए और मुसलमानों को भी गोवंश के वध और उसके कारोबार से दूर रहना चाहिए और गोमांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज्ञातव्य है कि इन दिनों अजमेर में ख्वाजा अजमेरी का 805वां वार्षिक उर्सू चल रहा है जिसमें देशभर के विभिन्न सम्प्रदायों से संबंधित लाखों लोग भाग ले रहे हैं। ऐसे अवसर पर दरगाह प्रमुख द्वारा इस तरह का बयान देना विशेष महत्वपूर्ण है। ज्ञातव्य है कि गतवर्ष दिल्ली में मुसलमानों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसमें गोवध पर कानूनी प्रतिबंध लगाने और उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।

V

बाबरी मस्जिद मुकदमा पुनः चलाने का निर्देश

बाबरी मस्जिद के धवस्त किए जाने के मुकदमे को पुनः शुरू करने का सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है उसे उर्दू के समाचारपत्रों ने प्रमुखता से प्रथम समाचार के रूप में प्रकाशित किया है।

दैनिक इंकलाब (7 मार्च) के अनुसार का शीर्षक है 'बाबरी मस्जिद के धवस्त किए जाने का मामला, भाजपा के 13 लीडरों पर शिकंजा, आडवाणी, जोशी, उमा और कल्याण पर चल सकता है मुकदमा'। इस समाचार के साथ पांच चित्र भी प्रकाशित किए गए हैं। समाचारपत्र ने लिखा है कि 6 दिम्सबर, 1992 में शहीद की गई बाबरी मस्जिद के मामले में भाजपा को उस वक्त भारी झटका लगा जब सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिया कि इस मामले की पुनः सुनवाई की जाएगी। इससे भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केन्द्रीय मंत्री उमा भारती, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण

सिंह आदि भाजपा और विश्व हिन्दू परिषद के कई नेताओं पर शिकंजा कसता नजर आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने साजिश के मामले में इनके खिलाफ पुनः मुकदमा चलाने का इशारा दिया है जिससे भाजपा की कठिनाईयां बढ़ गई है। जस्टिस आर. एस. नरीमन, जस्टिस पी. सी. घोष ने सीबीआई की याचिका की सुनवाई करते हुए इस मुकदमे में हो रही देरी पर चिन्ता प्रकट की है और प्रश्न किया है कि लखनऊ और रायबरेली के मुकदमों को एक ही न्यायालय में क्यों न चलाया जाए? ज्ञातव्य है कि लखनऊ उच्च न्यायालय में बाबरी मस्जिद के ध्वस्त किए जाने और रायबरेली में भीड़ को उत्तेजित करने का मामला विचाराधीन है। लखनऊ उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में साजिश की धारा हटाने से भाजपा के इन लीडरों को जो राहत मिल चुकी है लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने साजिश के मुकदमे को दोबारा चलाने का फैसला दिया है। इस पर 22 मार्च को निर्णय होगा। आरोपियों के वकील का तर्क था कि 2010 में हाईकोर्ट के निर्णय के विरूद्ध सीबीआई ने 9 महीने की देरी से अपील की थी और इस देरी के कारण इस मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तकनीकी आधार पर आरोपियों को राहत नहीं दी जा सकती। क्योंकि रायबरेली के मामले में उन पर सभी दफाएं लगी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर खेद व्यक्त किया है कि बाबरी मस्जिद को धवस्त करने वाले आरोपियों के खिलाफ मामले में क्यों देरी हो रही है?

VI

मस्जिद के दरवाजे अन्य फिरकों के लिए बन्द

समाचारपत्र सहाफत (21 मार्च) ने उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी पैगम्बर नोगांवनी का एक लेख छापा है जिसमें उसने दावा किया है कि मस्जिदों में आम मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है और उसे मुसलमानों के विशेष सम्प्रदायों के नामजियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। लेखक ने दावा किया है कि उन्हें चुनाव आयोग ने 14 फरवरी, 2014 के अमरोह विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में प्राइजेडिंग अफसर के रूप में भेजा था। चुनाव अगले दिन होना था मगर हमें एक दिन पूर्व ही इस गांव में भेज दिया गया। इसमें दूसरे सम्प्रदाय के मुसलमानों का आना और नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध है। लेखक ने कहा कि उन्हें ये बात सुनकर गहरा धक्का लगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए मैंने उनसे माथा लगाना उचित नहीं समझा। ऐसा लगता है कि इमाम साहब को इस्लाम के इतिहास की कोई जानकारी नहीं है या वो जानबूझकर अनजान बने हुए हें। मदीना में विरोधियों ने पैगम्बर इस्लाम को तरह-तरह से परेशान किया। मगर पैगम्बर ने अपने विरोधियों को मस्जिद में आने से कभी नहीं रोका और न ही कभी किसी को मस्जिद से नहीं भगाया। वर्तमान युग में सउदी अरब का शासक परिवार जो अपने आपको छोड़कर किसी अन्य को मुसलमान नहीं मानता उन्होंने भी कभी काबा और मस्जिद नबवी में गैर-वहाबी मुसलमानों को दाखिल होने से कभी नहीं रोका। उन्होंने दावा किया है कि इस्लाम में मस्जिदें सभी मुसलमानों के लिए हैं। मस्जिदों का निर्माण और उसमें नमाज पढ़ने की प्रथा के पीछे मुख्य बात यह है कि मुसलमान इसी बहाने से एक-दूसरे के ज्यादा नजदीक आएं। आज मस्जिदों को शिया, सुन्नी, बरेलवी और देवबंदी के आधार पर बांट दिया गया है। हालांकि यदि कोई मुसलमान स्वयं मस्जिद का निर्माण करता है तो भी उसे यह हक नहीं कि वो किसी भी मुसलमान को नमाज पढ़ने से रोक सके।

VII

तेलंगाना में मुसलमानों को आरक्षण देने पर भाजपा का विरोध

दैनिक इत्तेमाद (12 मार्च) के अनुसार तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि विधानसभा के चालू अधिवेशन में ही मुसलमानों को 12 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित विधेयक पारित करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पूर्व उनकी पार्टी ने मुसलमानों को 12 और दलितों को भी 12 प्रतिशत आरक्षण देने का वायदा किया था। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मुसलमानों को आरक्षण धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि उनके पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जाति आयोग की रिपोर्ट की कानूनी हैसियत होती है और इस कमीशन के सदस्यों ने तेलंगाना के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके इस बात की पुष्टि की है कि मुसलमान लगभग पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं और उनकी हालत पिछड़े वर्ग जैसी है।

अखबार मशरिक (15 मार्च) के अनुसार तेलंगाना सरकार ने मुसलमानों को 12 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में जो आयोग गठित किया था उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और इसे राज्य सरकार को पेश किया जाएगा। सुधीर आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार तेलंगाना की कुल जनसंख्या साढ़े तीन करोड़ है। इसमें से 13 प्रतिशत मुसलमान हैं जोकि पिछड़े हैं। इसलिए राज्य सरकार ने उन्हें 12 प्रतिशत आरक्षण देने का वायदा किया था। सुधीर आयोग ने इन्हें आरक्षण देने की सिफारिश की थी। बाद में इस रिपोर्ट को पिछड़ी जाति आयोग के हवाले कर दिया था। पिछड़ी जाति आयोग ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने के बाद अब इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। बताया जाता है कि इस आयोग ने भी मुसलमानों को 12 प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की है।

मुंसिफ (25 मार्च) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मुसलमानों को 12 प्रतिशत आरक्षण देने का विरोध करते हुए भाजपा के 5 विधायकों ने सदन में भारी हंगामा किया जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें दो दिन के लिए सदन की सदस्यता से निलंबित कर दिया। समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार भाजपा के विधायकों जी. कृष्ण रेड्डी, सी. रामचन्द्र रेड्डी, एन. वी. प्रभाकर और राजा सिंह ने तेलंगाना में मुसलमानों के आरक्षण को 4 से 12 प्रतिशत बढ़ाने का विरोध किया और उन्होंने काले रूमाल सदन में लहराए। उनकी इस कार्रवाई का विरोध राज्य के मंत्री हरीश राव ने मांगी की कि सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में भाजपा के सदस्यों को सदन की सदस्यता से एक दिन के लिए निलंबित किया जाए। इसका विरोध कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता जन्नारेड्डी ने किया और कहा कि ये मांग उचित नहीं है। रेड्डी ने कहा कि भाजपा के लोगों को प्रदर्शन और धरना देने देती तो सदन में विरोध प्रदर्शन की ये नौबत न आती। जब भाजपाई विधायक निरंतर हल्ला करते रहे तो विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें सदन से बाहर करने के लिए मार्शलों की सहायता मांगी। इस पर पांचों विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। तेलंगाना विधान परिषद में विपक्षी नेता मोहम्मद अली शब्बीर ने मांग की कि सरकार ने मुसलमानों को 12 प्रतिशत आरक्षण देने का जो वायदा किया था उसे पूरा किया जाए। सदन में भाजपा के सदस्य एन. रामचन्द्र राव ने स्थागन प्रस्ताव पारित करते हुए प्रश्नोत्तरकाल को निलंबित करके मुसलमानों को 12 प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ प्रस्ताव पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। इसका विरोध अन्य विपक्षी दलों ने किया। विपक्ष के नेता मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि सत्तारूढ़ दल तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने अपने चुनावी घोषणापत्र में मुसलमानों को 12 प्रतिशत आरक्षण देने का जो वायदा किया था उसे पूरा किया जाए। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मुसलमानों को आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उनके पिछड़ेपन के कारण दिया जा

रहा है। परिषद के चेयरमैन ने भाजपा के द्वक्षरा प्रस्तुत स्थागन प्रस्ताव को रद्द कर दिया जिस पर भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया।

सियासत (25 मार्च) के अनुसार तेलंगाना के भाजपाई कार्यकर्ताओं द्वारा मुसलमानों को 12 प्रतिशत आरक्षण देने के विरूद्ध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। जब प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे तो उन्हें बशीरबाग के नजदीक रोककर हिरासत में ले लिया गया। सियासत ने एक विशेष लेख में दावा किया गया है कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में जो सफलता मिली है उससे उसका हल होकर अब भाजपा तेलंगाना में भी सत्ता पर कब्जा करना चाहती है इसलिए उसने राज्य में मुसलमानों का विरोध करना शुरू किया है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने विधानसभा में मक्का मस्जिद धमाके के आरोपी स्वामी असीमानन्द को जमानत पर रिहा करने का मुद्दा उठाया हालांकि इस मामले में राज्य सरकार का कोई संबंध नहीं था। जानकार सूत्रों के अनुसार भाजपा का कैडर राज्यभर में मुसलमानों को 12 प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ हिन्दुओं की भावनाओं को भड़का रहा है। इसलिए विधानसभा के बाहर प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। भाजपा के नेता ने दावा किया कि 2019 में भाजपा तेलंगाना में भी सत्ता में आ जाएगी। सदन में गृहमंत्री नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि स्वामी असीमानन्द को जिस तरह से जमानत पर रिहा किया गया है वो एक गम्भीर मामला है और हम केन्द्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि उनकी जमानत का अदालत में विरोध किया जाए।

आप अपनी राय, जानकारियां, उर्दू पत्रों से समाचार प्रतिष्ठान को भेजें। संपादक मंडल उसे अगले अंकों में संपादकीय नीति के तहत स्थान देने का प्रयास करेगा।

भारत नीति प्रतिष्ठान द्वारा
उर्दू समाचारपत्रों का विश्लेषण की सूची

1. दावत, दिल्ली
2. दैनिक इंकलाब, दिल्ली
3. अखबार मशरिक, दिल्ली
4. दैनिक सहाफत, दिल्ली
5. रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली
6. हिंदुस्तान एक्सप्रेस, दिल्ली
7. हिंद समाचार, जालंधर
8. दैनिक प्रताप, जालंधर
9. दैनिक मुंसिफ, हैदराबाद
10. दैनिक सियासत, हैदराबाद
11. दैनिक हमारा समाज, दिल्ली
12. आल्मी सहारा, दिल्ली
13. औरंगाबाद टाइम्स, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
14. जदीद मरकज़, लखनऊ
15. साप्ताहिक नई दुनिया, दिल्ली
16. दैनिक इत्तेमाद, हैदराबाद
17. जदीद मेल, दिल्ली
18. सियासी तकदीर, दिल्ली
19. उर्दू, एक्शन, भोपाल
20. साप्ताहिक चौथी दुनिया, दिल्ली
21. साप्ताहिक अखबार नव, दिल्ली
22. दैनिक मिलाप, दिल्ली
23. कौमी तंजीम, पटना
24. दैनिक जदीद ख़बर, दिल्ली

Latest Publications

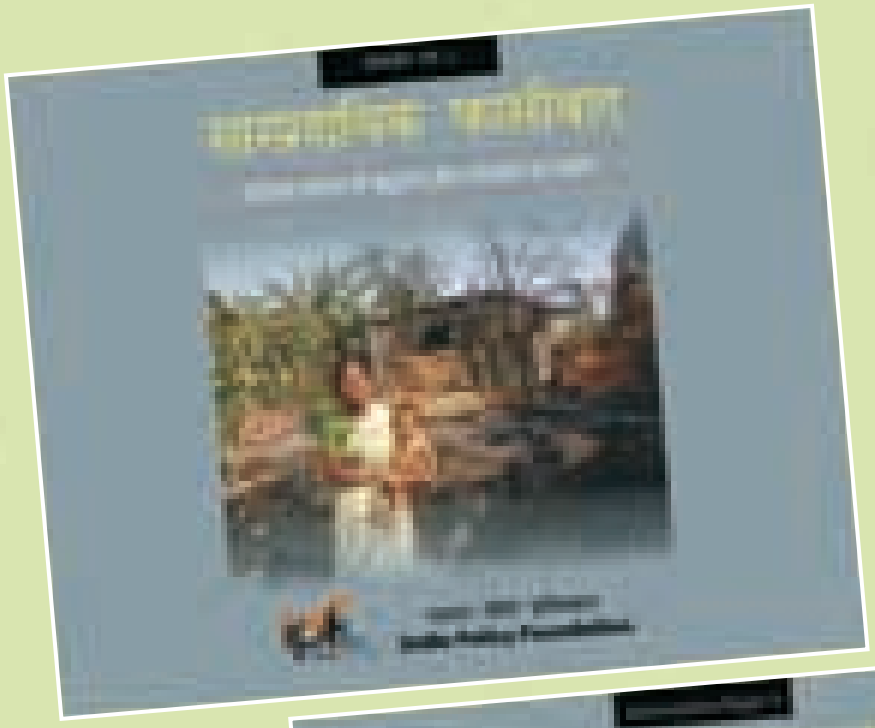

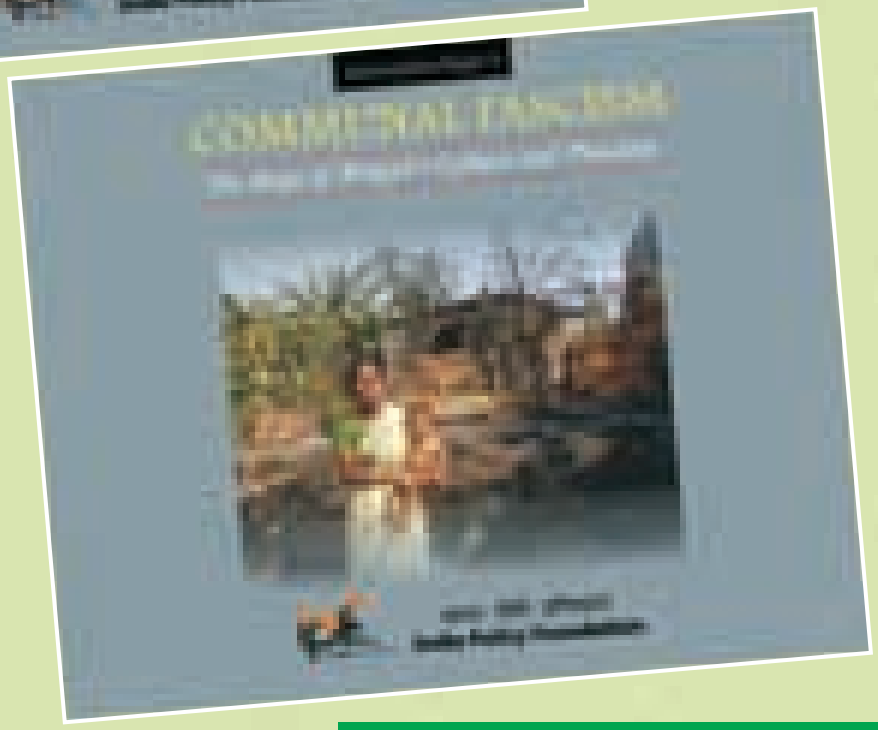

INDIA POLICY FOUNDATION

॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

डी–51, प्रथम तल, हौजखास,
नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018
फैक्सः 011–46089365
ईमेलः indiapolicy@gmail.com
वेबसाइटः www.indiapolicyfoundation.org

सहयोग राशि : ₹ 20/-